

**कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा सेवा और इलाज)
विनियम , 1989**

**Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance
and Treatment) Regulations ,1989**

संशोधन/ Amendments :-

1. जी एस आर सं. 633(ई) दिनांक 28 सितंबर , 1993
GSR No. 633 (E) dated 28th September 1993
2. जी एस आर सं. 169(ई) दिनांक 3 अगस्त, 1998
GSR No. 169 (E) dated 3rd August 1998
3. जी एस आर सं. 431(ई) दिनांक 13 जून, 2001
GSR No. 431 (E) dated 13th June 2001

**कोलकाता पत्तन न्यास
Kolkata Port Trust**



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304]
No. 304]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 1989/ज्येष्ठ 19, 1911
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 1989/JAISTHA 19, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस-भूतक परिपत्रक संशोधन संशोधन

कानून

(संशोधन)

कलकत्ता पोस्ट टुडे कर्मचारी (नियंत्रित सेवा और इनाम) विधिवत, 1989

अधिनियम

अध्याय-[प्रादेशिक

नई दिल्ली, 9 जून, 1989

प्रादेशिक:--महाराष्ट्र राज्य अधिनियम 1983 (1983 का अधिनियम 38) की धारा 124 के साथ एडिटेड धारा 28 द्वारा प्रस्तुत अधिनियमों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता पत्रक सेवा का ग्राहक मण्डल एतद्वारा नियंत्रित विधिवत कर्मचारी कलकत्ता पत्रक सेवा कर्मचारी (नियंत्रित सेवा और इनाम) विधिवत, 1989 बनाया है:

का.का.नि. 610(अ):--केन्द्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य अधिनियम, 1983 (1983 का 38) की धारा 132 की अवधि (1) के साथ एडिटेड धारा 124 की अवधि (1) द्वारा प्रस्तुत अधिनियमों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्रक सेवा ग्राहक मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिनियम के साथ संलग्न अधिनियमों में कलकत्ता पत्रक सेवा कर्मचारी (नियंत्रित सेवा और इनाम) विधिवत, 1989 का संशोधन करते हैं।

विधिवत-1--संशोधन नाम:--इस अधिनियमों का अधिनियम कलकत्ता पोस्ट टुडे कर्मचारी (नियंत्रित सेवा और इनाम) विधिवत, 1989 है।

2. इस अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम में प्रस्तावित को संशोधन को प्रस्तुत है।

विधिवत-2--प्रकृति विवरण:--ये अधिनियम अध्याय IV में अधिनियमों को छोड़कर कलकत्ता पोस्ट टुडे के ग्राहक मण्डल के उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो कलकत्ता पोस्ट के ग्राहक मण्डल के पूर्व कर्मचारी

कर्मचारी है, जब वे काम पर ही, छुट्टी पर हों या भारत में विदेशों सेवा में हों या जब तिलमिल हों। प्रत्यक्ष IV में अन्तर्निष्ठ विनियम (कर्मचारी विनियम 16, 17, 18 एवं 19) सेवा नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे।

टिप्पणी-1:--वे विनियम निम्नलिखितों पर लागू नहीं होंगे :--

- (i) कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल के वे कर्मचारी जो छुट्टी पर हैं या विदेश में प्रतिनिधित्व पर हैं;
- (ii) वे विविध निम्नलिखितों पर लागू होंगे :--
- (क) कलकत्ता पत्तन न्यासी मंडल के वे कर्मचारी जो कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल को सेवा के अन्तर्गत पुनर्निर्दिष्ट कर रहे हैं, सेवा नियुक्ति के समय वे बाह्य विद्युत सेवा में हों या विचार किए बिना;
- (ख) परिवर्तनीय।
- (ग) वे शिक्षक जो कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल के पूर्ण कालिक सेवा में हैं।

टिप्पणी-2--कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल का कर्मचारी जब प्रतिनिधित्व पर हो जब उसकी चिकित्सा रिपोर्ट उधार संज्ञा के विचारों द्वारा निर्दिष्ट होगी। फिर भी यदि उधार संज्ञा बाह्य तो प्रतिनिधित्व कर्मचारी पर कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल के विचारों को भी लागू कर सकता है।

टिप्पणी-3--इन विनियमों में क्या निर्धारित ऐसे कर्तव्य या अर्थवर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल के कर्मचारियों को इन विनियमों के अन्तर्गत स्वीकृत रिपोर्ट उनके परिवारों पर भी लागू होंगे।

विनियम-3-परिभाषा:--इन विनियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा निर्दिष्ट न हो:--

- (क) "बोर्ड" से कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल अभिप्रेक्षित होगा।
- (ख) "अध्यक्ष" से कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल के अध्यक्ष के अर्थ में अभिप्रेक्षित होंगे।
- (ग) "अध्यक्ष" से कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल के अध्यक्ष के अर्थ में अभिप्रेक्षित होंगे।
- (घ) "प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी" से मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सक, मुख्य अर्थ या चिकित्सा प्रयोगशाला, एक चिकित्सा अधिकारी या कर्मचारी या उनके स्थायित्व परिवार के सदस्यों की परिचर्या तथा उनके इलाज के प्रयोजन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथा नामांकित बोर्ड को सेवा के अधीन कोई चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेक्षित है।
- (ङ) "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" से बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके परम में कोई अन्य प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेक्षित होगा।
- (च) "बोर्ड का सलाहकार" से बोर्ड द्वारा अनुपेक्षित सलाहकार या सलाहकार अभिप्रेक्षित होगा।
- (छ) "नर्स" से डॉक्टर, चिकित्से अन्य चिकित्सा अधिकार के अधीन अंतर्गत प्रयोगशाला या चिकित्सा प्रयोगशाला, अभिप्रेक्षित है।
- (ज) "पैथॉलॉजिक ऑब्जरवेशन" से बोर्ड को सेवा में एक चिकित्सा अधिकारी के द्वारा पैथॉलॉजिक चिकित्सा अनुसंधान, जो एलोपैथी दवा प्रयोगशील नहीं है, लेकिन इसमें प्रायुर्वेदिक व्यवहारों, सुगन्धी या द्रव्योपेक्षिक तथा दवा को कोई अन्य दवा प्रयोगशील मानित नहीं है, अभिप्रेक्षित होगा।

(ब) "बोर्ड सलाहकार" से राज्य सलाहकार या राज्य मन्त्र प्रा. सलाहकार अभिप्रेक्षित होगा।

(ज) किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के संबंध में चिकित्सा परिचर्या से अपने परामर्श करने में या बोर्ड के सलाहकार या सलाहकार, चिकित्से बहु संबंधित है, या बोर्ड कर्मचारी के सलाहकार पर, रोग विज्ञान के प्रयोजन के लिए रोग विज्ञान, जीवन विज्ञान, चिकित्से चिकित्सा विज्ञान या जीव के अन्य प्रकारियों सहित सेवा कि बोर्ड सलाहकार या अध्यक्ष या परामर्श कर में उपलब्ध हो और जो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा सलाहकार समझा जाय अभिप्रेक्षित है। इसमें विशेषताओं से परामर्श शामिल है, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष होने संबंधी प्रमाणित करते हैं तथा जिसे विशेष मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से निर्धारित करेंगे।

टिप्पणी 1--"चिकित्सा परिचर्या" में बोर्ड के सलाहकारी दवा खाना में या बोर्ड के कर्मचारी के सलाहकार पर या प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कर में, जैसे बहु सलाहकार में हो या उसमें साथ व्यवस्था कर के अन्तर्गत सलाहकार पर शामिल है।

टिप्पणी 2--"प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुपेक्षित परामर्श कर" का अर्थ सलाहकार से सहित में उसे प्राधिकृत सलाहकार पर परामर्श कर अभिप्रेक्षित है। और सलाहकार/सलाहकारों के दौरान सलाहकार प्रयोग में बोर्ड को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी परिचर्या हेतु किसी प्रकार का कोई फोस नहीं ले सकता या किसी व्यक्ति को व्यायाम शामिल सेवा अर्थान नहीं कर सकता जहाँ वह बोर्ड का कर्मचारी हो या उसके परिवार का कोई सदस्य हो।

टिप्पणी 3--जब कोई रोगी किसी खास बीमारी से ग्रसता हो जाने के बाद किसी नयी बीमारी से ग्रसता हो जाता है और किसी डॉक्टर से परामर्श करता है तो वह परामर्श "नया परामर्श" होगा तथा उसे पूरे दर पर उपायार्थ किया जाएगा।

टिप्पणी 4--जब कोई रोगी एक रोग का इलाज करा रहा हो और उसी समय किसी अन्य बीमारी से अभिप्रेक्षित के संबंध में उसी डॉक्टर से परामर्श करता है तो वह परामर्श नया परामर्श कहा जाएगा तथा उसके लिए उसे पूरे दरों पर उपायार्थ किया जाएगा।

(ट) "रंगी" से बोर्ड के कर्मचारी जिन पर वे चिकित्से लागू होंगे तथा जो बीमार पड़ जायें, अभिप्रेक्षित है।

(ड) "बाह्य चिकित्सा सेवा इकाई" से बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन इकाई जिसमें बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं, जो कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का उनके सलाहकार पर परिचर्या करते हैं, अभिप्रेक्षित होगा।

(झ) "सलाहकार प्रयोग" से सलाहकार द्वारा कर्मचारी से अंतरंग मरीज कार्य में इलाज के लिए निर्धारित दर पर वसूल किए गए वार्षिक राशि अभिप्रेक्षित होगी, जिसमें रोग विज्ञान जीव, जीवाणु विज्ञान, चिकित्से चिकित्सा विज्ञान जीव तथा वैपथिक (य) परिचर्या को लागू सेवा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित दर व्यवस्था की जायें।

अध्याय- II-चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

विनियम-4 : चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं :--कोई भी कर्मचारी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा परिचर्या का इस्तेमाल होगा।

वे कर्मचारी जो बोर्ड के सदस्यों में रहते हैं या अन्य लोगों में रहते हैं समय समय पर प्रतिनिधित्व किया जायें, बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने सलाहकार पर चिकित्सा परिचर्या के इस्तेमाल होंगे। जब उनकी बीमारी इतनी गंभीर हो कि वे बोर्ड के किसी अध्यक्ष या अध्यक्षों में अपने अर्थान हों।

भाषात मामलों में अब एक कि बोर्ड का कोई एक अधिकारी अधिकारी मामले का भार नहीं होगा, अब एक किलो वैयक्तिक डॉक्टर को चुनाव कराया है, लेकिन चिकित्सा परिवारों के लिए किया गया खर्च को वापसी इस कलेक्टर की जांचों कि मामलों की रिपोर्ट प्रदान चिकित्सा सेवा इकाई को क्या संभव सीधे तब सरकार में ही गयी है, और किसी भी हानि में वैयक्तिक डॉक्टर के चुनाव के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दी जावे। वैयक्तिक डॉक्टर को प्राथमिक पीछे को अधिकतम 10/- रु. प्रतिदिन के अधिक न हो या ऐसे राशि जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर संवृत की जावे, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति किया जावेगा।

(iii) वे कर्मचारी जो न ही बोर्ड के सदस्यों में रहते हैं और न ही उपरोक्त उप विनियम (ii) में उल्लिखित सेवाओं में ही रहते हैं वे अपने कार्यालय पर अपनी पसंद वैयक्तिक डॉक्टर को सेवा लेने के हकदार होंगे, यदि उनकी बीमारी इसकी कठिन हो कि वे बोर्ड के किसी प्रस्ताव या दवाखानों में जाने में असमर्थ हों। बीमारी की नवीनता के संबंध में कोई संदेह हो तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय हो करनी होगी। ऐसे मामलों में वैयक्तिक डॉक्टर को प्राथमिक पीछे जो कि 10/- रु. प्रतिदिन के अधिक नहीं होंगे या वैयक्तिक कर्मचारी द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जावे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित करने पर बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति किया जावेगा।

(iv) जब कोई कर्मचारी स्वयं किसी बीमारी से पीड़ित हो जिसके कारण से अनुपस्थित होना आवश्यक नहीं है, अब वह बोर्ड प्रस्ताव या दवाखाना के सहित नार्ड में अपनी इलाज करावेगा।

(v) "असमर्थ होना" के कर्मचारी के अभाव, दवा, नसिका, ऐसे रोग विज्ञान, बीजानु विज्ञान, चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान, हृदय संबंधी जांच, वैयक्तिक जांचों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो, के लिए नसिका होम द्वारा अनुपस्थित करी पर बहुत को गयी सांख्यिक जांच प्रविष्ट होनी।

(vi) "इलाज" के बोर्ड प्रस्तावित विषय कर्मचारी के रोग का उपचार होता है और जिसमें निम्नलिखित शामिल है, में उपरोक्त सभी चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं के उपयोग प्रविष्ट होंगे।

- (i) ऐसे रोग विज्ञान, बीजानु, विज्ञान, हृदय विज्ञान को सेवा या अन्य प्रणाली जिन्हें प्राधिकृत चिकित्सा परिवारों आवश्यक समर्थ।
- (ii) ऐसी दवाएं, टीका गिरा अन्य चारोप्य पदार्थ का प्राप्ति जैसा कि साधारणतः बोर्ड प्रस्तावित में उपलब्ध हो।
- (iii) सद्यपि प्राधिकृत चिकित्सा परिवारों रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए या रोगी को हानि में संशोधन करणों को रोकने के लिए निम्न-लिखित सर्वों को छोड़कर ऐसी दवाएं, टीके, चिकित्सा चारोप्य पदार्थ जो कि बहुत उपलब्ध नहीं है की प्राप्ति के लिए लिखित रूप में प्रस्तावित करने।

- (क) वे सम्पत्त जो क्या नहीं है लेकिन जो प्राधिकृत रूप से आर्य पुष्पिकारण, प्रस्तावित सम्पत्त या रोगाणुनाशक, तथा
- (ख) बीमारी दवाएं, सुटिकारक, सारक या अन्य सुकृतिपूर्ण तथा स्वास्थित सम्पत्त जिन्हें लिए सवान मूल्य को क्या उपलब्ध हों।
- (ग) ऐसा स्थान वैयक्तिक साधारणतः प्रस्तावित में दिया जाता है।
- (घ) ऐसी एनिस वैयक्तिक बोर्ड प्रस्तावित में अन्तः प्रेषितों को साधारणतः दिया जाता है।

टिप्पणी 1: इन विनियमों के सम्बन्धित परिवारों प्राया अहित के प्रभाव प्रतिपूर्ति लेष्य नहीं है।

टिप्पणी: 2. तीसरे मामलों में प्रस्तावित/या नसिका होने में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अनुमति के वैयक्तिक सर्व/परिवारों को रखा जा सकता है। यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सर्वा पर होगा कि वह भाषात मामलों में परणों अनुपस्थ को अनुमति दे। वैयक्तिक सर्व/परिवारों के रखने की लागत विनियम 11(ग) (घ) में, क्या आवश्यक, की होगा में बोर्ड द्वारा नसिका किया जायेगा, बसों कि ऐसी निष्पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित हो।

विनियम 5: चिकित्सा उपचार की सुविधाएं:—बोर्ड का कोई भी कर्मचारी मूल्य उपचार का हकदार होगा तथा उपचार:—

(i) बोर्ड के किसी प्रस्तावित/या दवाखाना में करने का हकदार होगा। क्या रोगी सर्वा में कर्मचारी सर्वा किए जायेंगे, लेकिन कर्मचारी के परिवार के समर्थों को भी सर्वा किया जा सकता है बसों कि अनुपस्थित होंगे। अधिकार संशुद्ध की, अधिकार रांठ की तथा अधिकार कान, साक तथा गले की जांच तथा इलाज बोर्ड के प्रस्तावित में किया जायेगा।

(ii) वे कर्मचारी जो बोर्ड के सदस्यों में या अन्य सेवाओं, वैयक्तिक विनियम 4 के उप विनियम (-) में उल्लिखित है, रहते हैं और वे ऐसी बीमारी में पड़ जाते कि वे बोर्ड के किसी प्रस्तावित या दवाखाना में नहीं जा सकते, तब उन्हें बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी उनके घर पर ही उनका इलाज करने। अभाव मामले में अवधान कि बोर्ड का कोई चिकित्सा अधिकारी मामले को नहीं देखता, तब वैयक्तिक डॉक्टरों को चुनाव या संभव है लेकिन दवाखाने के लिए किया गया चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति इसी सर्वा पर की जायेगी कि मामले की रिपोर्ट क्या नवीन बीमारी प्रारंभ में वास्तु चिकित्सा सेवा इकाई की हानि में रहते कर ही गयी हो और वैयक्तिक डॉक्टर को चुनाव के 24 घंटे के भीतर हो।

(iii) वे कर्मचारी जो बोर्ड के सदस्यों या विनियम 4 के उप विनियम (ii) में उल्लिखित सेवाओं में रहते हैं, वे भी अपने कार्यालय पर अपनी पसंद के वैयक्तिक डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा उपचार करने के हकदार होंगे, यदि उनकी बीमारी इसकी नवीन हो कि वे बोर्ड के किसी प्रस्तावित या दवाखाना में नहीं जा सकते। बीमारी को नवीनता के संबंध में यदि कोई संदेह नसिका होगा तो इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय ही प्रविष्ट होगा। दवा, रोग विज्ञान, बीजानु, विज्ञान, चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान, हृदय संबंधी जांच, वैयक्तिक प्रविष्ट हों, को पूरी लागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्तावित पर वापस को जायेंगे।

(iv) जब कोई कर्मचारी स्वयं किसी बीमारी से पीड़ित हो जिसके कारण पर अनुपस्थित होने की आवश्यकता न हो, तो वह अपनी इलाज के लिए प्रस्तावित या दवाखाना के सहित नार्ड में अपनी जांच करावेगा।

विनियम-6: सकारों रोग यदि के होयान चिकित्सा परिवारों तथा इलाज की सुविधाएं:—(1) जब कोई कर्मचारी छुट्टी पर हो और बीमारी पड़े जावे तब तब उही प्रकार की चिकित्सा परिवारों तथा इलाज का हकदार होगा वैयक्तिक यह करने काल के समय बोधार पढ़ने पर जाता, बसों कि कर्मचारी नहीं रहता हो नहीं वे यह पहले कार्यालय प्रस्ताव या।

(2) जब कोई कर्मचारी सरकारों दौर पर हो न छुट्टी पाया। दिवापत का लाभ उठाने के लिए छुट्टी पर हो, और बीमार पड़ जावे और प्रस्तावित में सर्वा हो तो उसे विनियम 11(ग) (घ) में निर्धारित सेवा के अंतर्गत प्रस्तावित का खर्च, नसिका होय का प्रस्ताव वैयक्तिक सर्व/परिवारों रखने का खर्च तथा दवा को लागत एवं अन्य रोग संबंधी खर्च को लागत पले का हकदार होगा, बसों कि यह किसी डॉक्टर, लोक सिविल सर्वन के सौहार्द से रूप न हो या सरकारों प्रस्तावित का डॉक्टर हो, के उद्देश्य प्रस्तावित रोक करे। ऐसे मामलों में नसिका चिकित्सा अधिकारी का यह प्रस्तावित प्रत्य करना आवश्यक होगा कि कर्मचारी के जीवन को रक्षा के लिए वैयक्तिक चिकित्सा परिवारों/इलाज/प्रस्तावित में रखना यदि आवश्यक या।

विनियम-7 : महिला होम/घाबेनिक अस्पताल के केबिन में नहीं :-
 घोषणा करने में कोई कर्मचारी किसी दफ्तर में या किसी प्रमुख अधिकारी के कार्यालय में या किसी अस्पताल के केबिन में नुक़्त चिकित्सा अधिकारी को पूर्ण अनुमति दे नहीं दे सकता है। महिला होम/घाबेनिक अस्पताल में दफ्तर को साफ़ विनियम 11 (ग) विनियम के अंतर्गत हो, तथा अन्य रीति रीय संबंधों के अधीन रीति विनियम, नौकरी विनियम द्वारा विनियम, विनियम विनियम जो कि तथा अन्य संबंधों के अधीन रीति, असाइन या अन्य उद्देश्यों, दुर्घटना के कारण होने के कारण विनियमित मामलों में नुक़्त चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पर बोर्ड द्वारा दिया जानेगा।

- (क) बोर्ड अस्पताल की पत्नी को नहीं को देखते हुए जब नुक़्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को नुक़्त होना या सुक़्ताकी रीति या सार्वजनिक अस्पताल के केबिन में रहने को व्यवस्था की जाये।
- (ख) जब कर्मचारी द्वारा या उसके परिवार के सदस्य द्वारा जब ऐसी नहीं को पढ़ने को मना, एवं नुक़्त चिकित्सा अधिकारी को पूर्ण अनुमति प्राप्त कर ली जाये।
- (ग) अस्पताल में जब ऐसी नहीं को पढ़ने कर्मचारी द्वारा हो या उसके परिवार के सदस्य द्वारा और बाद में नुक़्त चिकित्सा अधिकारी ऐसा प्रमाणित करे कि कर्मचारी को नुक़्त रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करनी थी।

विनियम-8 : विशेषज्ञों के साथ सेवा जला :- यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पता में किसी रोगी का रोग दूना संबंध हो ना एवं साथ स्वभाव का हो कि उसके विशेषज्ञ का परामर्श/या विशेषज्ञ का इलाज आवश्यक हो, तो नुक़्त चिकित्सा अधिकारी को पूर्ण अनुमति दे देते रोगी को इलाज के लिए विशेषज्ञ के पास भेजा जायेगा। यदि रोगी इलाज कमजोर है कि वह विशेषज्ञ के पास जाने में असमर्थ होता विशेषज्ञ को रोगी के साथ पर हो भुलाया जा सकता है। विशेषज्ञ को फीस को प्राथम्य के लिए नुक़्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक मान लेते किना जायेगा जिसे विनियमित द्वारा अधिकृत/कार्य करने उसके पास लोया रिया जायेगा। विशेष के असीन रोगी को इलाज के नुक़्त चिकित्सा अधिकारी रोगी को अपने पास भुला सकते हैं और यदि वह बिना रीति कारण के उनके सामने उपस्थित होने में नुक़्त है, तो रोगी द्वारा लिए जाने नहीं को प्रति प्रति नहीं को जायेगी।

अध्याय-III--बोर्ड के कर्मचारियों के परिवार के लिए चिकित्सा परिचर्या तथा इलाज की व्यवस्था

विनियम-9 : बोर्ड के कर्मचारियों के परिवार के लिए चिकित्सा परिचर्या तथा इलाज :- बोर्ड के कर्मचारियों के परिवार तथा पत्नी के अनुहार उनके परिवार को चिकित्सा परिचर्या नौकरी के अधीन सहाय-II के अधीनस्थित है कि बोर्ड के कर्मचारी के जोड़े, तथा पत्नी के अनुहार उनके परिवार को चिकित्सा परिचर्या तथा या इलाज को जायेगी।

विनियम-1 : बोर्ड को महिला कर्मचारियों के लिए इस विनियम को व्यवस्था संबंधित परिचर्या करते लागू होगी।

विनियम-2 : कर्मचारी के परिवार का अधिकृत चिकित्सा परिचर्या नहीं है को कर्मचारी का अधिकृत चिकित्सा परिचर्या है।

विनियम-10 : "परिवार" शब्द को परिभाषा :- कर्मचारी (चिकित्सा सेवा और इलाज) विनियम, 1989 के प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द का अर्थ कर्मचारी को पत्नी या पति तथा स्थायी हो, तथा उनके साथ रहती हो, रहती हो, तथा यला-पिता, बहन तथा छोटीया संबंधों के अधीन उम्र 25 वर्ष के अधिक ना हो तथा कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित परिवारित सदस्यों को कर्मचारी के साथ रहती हो/रहती हो।

संशुद्धिपरम :

- (क) (1) "परिवार" शब्द में कोई अन्य संबंध संबंधों नहीं - भाई, बहन, पिताया बहन भादि शामिल नहीं है। "यला-पिता" शब्द में छोटीया नाव शामिल नहीं है।
- (2) "पत्नी" शब्द में नक़्त को पति लिए कर्मचारी शामिल होवे।
- (3) "पत्नी" शब्द में एक पत्नी से अधिक पत्नी शामिल है।
- (4) यदि कर्मचारी को नुक़्त जोड़ों से कुल कर्मचारी मासिक वेतन 250/- रु. प्रतिमाह से अधिक ना हो जो कि अत्यंत द्वारा सहाय-कार्य पर संबंधित होता रहेगा, एवं कर्मचारी के परिवारिक सदस्य को उस पर पूर्णतः आश्रित नाव जायेगा। संबंधित कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंतर्गत में एक बार पूर्णतः आश्रित सदस्यों को वेतन के बारे में घोषणा करना होगा।
- (4) इन विनियमों के अंतर्गत चिकित्सा रिहायश को लागू को शामिल के प्रयोजन के लिए महिला कर्मचारी को नुक़्त अपने यला-पिता या अपने छोटा-छोटा के नामों को शामिल करते संबंधी छुट दी जायेगी, बसते कि यला-पिता या छोटा-छोटा पूर्ण रूप से उसके उपर आश्रित हो तथा अपने नाम रहती हो।
- (5) कर्मचारी को पत्नी या पति, जैसी स्थिति हो, राज्य सरकार में सेवागत हो या रक्षा में, रेलवे सेवा में या निगम/विभाग जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकार से अधिक या पूर्ण वित्तिय मद दी जाती है, स्वतंत्र विभाग तथा निजी संस्थान, जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है, कोई भी सुविधा चाहे कर्मचारी पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (चिकित्सा सेवा और इलाज) विनियम, 1988 के अंतर्गत दी जानेवाली चिकित्सा सुविधाएं से अपने ही/सकती होगा वे लिए संस्थान में सेवागत है उसकी चिकित्सा सुविधाएं से अपने ही/सकती है।
- (6) जब पति और पत्नी दोनों बोर्ड के कर्मचारी हों एवं वे और उनके निर्धन्य आश्रितों को उनकी ही/सकती के अनुहार चिकित्सा रिहायश का लाभ उठाने दिया जायेगा। पति/पत्नी या कर्मचारी से संबंधित चिकित्सा परिचर्या तथा इलाज के लिए किन्तु अपने चिकित्सा संबंधों को लागू के लिए तथा कोष रोक करेगा। इस अंतर्गत के लिए उन्हें अपने विशयागत को संयुक्त घोषणा देना होगा। उपर्युक्त घोषणा पर दो प्रतिमां में बना करना होगा और एक प्रतिमां विद्या विभाग को अधिसूचित करना होगा। वह घोषणा उस समय तक लागू रहेगी जब तक कि लिखित रूप में दोनों में से किसी एक को पदोन्नति, स्वतंत्रकरण, इलायत भादि के कारण लिखित रूप में स्पष्ट अनुप्रेषण द्वारा संबंधित ना कर ले। ऐसे संयुक्त घोषणा की अनुपस्थिति में पति के छोड़ के अनुहार पत्नी तथा कर्मचारी चिकित्सा रिहायश का लाभ उठा सकते हैं।

अध्याय-IV--प्रतिभूति का विस्तार तथा प्रतिभूति हेतु बना प्रसूती की विनियम

विनियम-II : प्रतिभूति :- प्रतिभूति (क) बोर्ड के दशाधाना से सभी दशाएं जिनमें असाइन या किसी भी प्रकार के उपकरण, धूम, मालसौजन्य तथा अन्य जोषण रक्षक उपकरण जिनमें बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी या नुक़्त चिकित्सा अधिकारी को असाइन पर विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित मास कैलेंडर को मुक्त प्राप्ति की जायेगी। लेकिन ऐसा कोई मय जो बोर्ड के घोषणागत में उपलब्ध नहीं है या विनियम 5 के उप विनियम (ii) (iii) के अंतर्गत वैधानिक कानून द्वारा लिखित कोई तथा अतिम होम द्वारा लिखित कोई तथा या अस्पताल प्रशासकियों द्वारा, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पूर्ण अनुमति के रोगी नहीं हुआ हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पर बाहर से बरीदी जा सकती है तथा उनकी पूति की को

जायेगी। बोर्ड शारीरिक बिकृति के संबंधित उपकरणों की प्रतिकृति नहीं करेगा। उपर्युक्त मामलों में से किसी भी मामले में किसी प्रकार का संदेह या मतभेद उत्पन्न होने पर मुख्य बिक्रिता अधिकारी को उक्त बतलाने होगी।

टिप्पणी—

बोर्ड का कोई कर्मचारी धीरे उसके परिवार के संबंधित सदस्य वेता कि विनियम 10 में परिभाषित है, को पैसमेकर तथा इसके वाल्स सेक्टर के सदस्य को व्यवस्था, तथा अपेक्षित, मुख्य बिक्रिता अधिकारी के प्रमाण पर ही जायेगी।

(क) परलु हृषय पैसमेकर तथा वाल्स सेक्टर के सदस्य को शारीरिक बिकृति का मूल्यांकन आयुक्तिकारण एनीली की छापे किया जायेगा, न कि संबंधित कर्मचारी को।

(ख) वैयक्तिक डॉक्टर की क्षमता को अधिष्ठान 10-घ, प्रति दिन या ऐसी राशि जो समकाल पर बोर्ड द्वारा संदूर की जाने, बिक्रिता 4 के उप विनियम (ii) तथा (iii) के अंतर्गत प्रतिकृति की जायेगी।

(ग) कर्मचारियों द्वारा किए गये कर्षों को बोर्ड नहीं तक लहेगा :— निम्नलिखित कर्षों के संबंध में नीचे दिखाई गयी सीमाएँ एक सभी कर्मचारी प्रतिकृति के हकदार होंगे, बल्कि कि वह मुख्य बिक्रिता अधिकारी को अनुमति से किया गया हो तथा बतलें कि ऐसे कर्षों के सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य, प्राप्त किए गये हैं।

(क) सरकारी अस्पताल या सरकारी मायता प्राप्त अस्पताल के प्रकार की दर पर अस्पताल प्रकार।

(ख) विनियम 8(2) तथा 7 के अंतर्गत पहले वाले मामलों में 100-घ, प्रति दिन की सीमा तक स्वीकृत नसिय होम प्रकार।

परलु फिर भी नहीं नसिय होम प्रकार 100-घ, प्रति दिन से अधिक वेता परे तो 100-घ, से अधिक प्रकार का 2/3 का ही प्रतिकृति किया जायेगा। परलु धाने यदि कोई कर्मचारी काम पर वाकल हो जाये, तो उसे नसिय होम के कर्षों का दुरा प्रतिकृति किया जायेगा।

(ग) विशेषज्ञ की प्रति सायनन कोस 50-घ, तक। काम पर वाकल होने पर विशेषज्ञ की दुरी क्षमता की प्रतिकृति की जायेगी।

टिप्पणी—

यहाँ कर्मचारी विनियम के अधीन अपने पसंद के वैयक्तिक डॉक्टर से इलाज करने का हकदार है, तथा मुख्य बिक्रिता अधिकारी की अनुमति के बिना ही विशेषज्ञ बुलाता है, तक विशेषज्ञ को सामान्य डॉक्टर माना जायेगा तथा बिक्रिता की मूल्य की लागत की प्रतिकृति विनियम 11(घ) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

(क) वैयक्तिक नरी को रखवाने के लिए वैयक्तिक गर्भ/परिचारी की योजना/प्रकार प्रतिपाली 20-घ, से अधिक नहीं होगा या ऐसी राशि जो बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाये, मुख्य बिक्रिता अधिकारी लक्ष/परिचारी एक सप्ताह से अधिक कर्षों के लिए रखा जाता है, तो कर्षों की प्रतिकृति के लिए अस्पताल या उपस्थल की संदुरी को आवश्यकता पड़ेगी। सादर से तथा संभाल से कर्षों को एक-दर जांच का रोग विज्ञान नांच तथा उसी समान जांच के प्रकारों की प्रतिकृति रोग को सरकारी अस्पताल की दर पर ही जायेगी।

(ग) बिक्रिता बिलों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विचार।

कर्मचारी द्वारा बिक्रिता कर्षों की प्रतिकृति का दावा इलाज समाप्त होने के 6 महीने के भीतर अल्प वेता करना होगा। मामले की कृपया को देखते हुए अल्प या उपस्थल वैयक्तिक मामले में एक समय सीमा की बतलाने हैं।

(क) प्राधिकृत बिक्रिता परिचारी द्वारा जारी कर्ष धारण की बिल से अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर सभी दवाएं प्रय किया जाता चाहिए। बहु विपक्ष अल्प या उपस्थल द्वारा बहु विचार/बताया जा सकता है जो मामले के गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।

विनियम—12 : एम्पुलीस सुविधा :—अन्य तथा वाकल मामलों में कर्मचारियों को उनके असात जिल क्षेत्र के बोर्ड के क्वार्टर में से रहते हैं तथाकि विनियम 4(ii) में उल्लिखित है वा कर्मचारी के कर्म स्थल से मुक्त एम्पुलीस द्वारा कर्मचारी को क्वार्टर के शारीरिक अस्पताल वा बोर्ड के किसी भी अस्पताल वा अधिष्ठान, बतली बात हो, में पहुंचाया जायेगा। किसी कर्मचारी को वैयक्तिक इलाज के र्षों के रूप में अस्पताल से उसके मायता या किसी रोगी को पर से अस्पताल और अस्पताल से पर से रोगी के लिए एम्पुलीस की सादुरी नहीं की जायेगी।

विनियम—13 : अल्प पर वाकल से संबंधित बिलों की प्रतिकृति :—काम पर वाकल हुए कर्मचारी के मामले में मुख्य बिक्रिता अधिकारी को बिक्रिता पर बिक्रिता उपचार के संबंधित पूरा कर्षों जिसमें कृत्रिम दाब/बनी को लागत, चर्मा, इन्जिन अंग तथा संयत उपकरण की लागत की प्रतिकृति जायेगी।

विनियम—14 : बिक्रिता कर्षों की प्रतिकृति की मांग के लिए कर्मचारी द्वारा की जाने वाली किताबिधि :—(1) कर्मचारी द्वारा प्रतिकृति हेतु दावा इलाज की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के अन्तर निर्धारित अल्प में निम्नलिखित वाकल/रोगी बतलाने अनुभावीय अधिकारी के मांग प्रस्तुत करना होगा।

(i) दवाएं खरीदने का साक्ष्य—

- (क) मूल प्रेषिष्ठान,
- (ख) नकद साक्ष्य,
- (ग) बोर्ड के बिक्रिता अधिकारी द्वारा प्रेषिष्ठान पर पुष्ठांकित कर्ष धारण।

टिप्पणी—(क) स्वामित्व दवाएं तथा इन्जेक्शनों के कर्ष को अपने कैशबुक में या उचित अल्प पर विचार अल्प प्रदान करें।

(ख) निचम का हर प्रेषिष्ठान तथा/वा वावर संख्या दिया गया ही वैसाकि प्रेषिष्ठान के प्रेषिष्ठान देखीकर में रखाई किया गया हो यहाँ से प्रादुरी की गयी हो।

(ग) वैयक्तिक साक्ष्यों के प्रेषिष्ठान का प्रेषिष्ठान का बोर्ड के बिक्रिताधिकारी का प्रेषिष्ठान पर दिया गया कर्ष धारण संबंधित कैशबुक में दिया जाना चाहिए कर्षों कैशबुकों के हर पर संबंधित प्रेषिष्ठान वा कर्ष धारण से मिलना चाहिए।

अस्पताल प्रकारों के लिए—

- (क) अस्पताल के बिल तथा सुरतान राशि,
- (ख) अस्पताल प्रवेश तथा मुक्त प्रमाण पत्र।
- (ग) रोगी हेतु मुख्य बिक्रिता अधिकारी का लिखित धारण।

(ii) नसिय होम प्रकारों के लिए—

- (क) नसिय होम बिल और राशि,
- (ख) नसिय होम में रोगी हेतु मुख्य बिक्रिता अधिकारी का लिखित अनुमति।
- (ग) रोग विज्ञान नांच, नौबानु विज्ञान नांच तथा बिक्रिता विज्ञान बतलान तथा दवाओं की सीमा हेतु बिल तथा राशि।

- (iv) विधेयनों की पीस के लिए—
- (क) विधेयन के पास बैठने संबंधी मुख्य विधिज्ञा अधिकारी का आयन ।
- (ख) बिल न छोड़ ।
- (घ) वैयक्तिक डाक्टरों को फोन हेतु—
- (क) माननम ठिकि फने दिखाने हुए डाक्टर के पत्रसोपे पर बिल ।
- (ख) रोग का विवरण देने हुए बीमारी संबंधी संशोधन का प्रमाण पत्र ।
- (ग) इन्फेक्शन के लिए बी जाने वाली पीस को छोड़, तथा
- (घ) रोग निदान नांभ, बीमारी निदान नांभ, तथा विकिरण निदान नांभ की रसीय हेतु बिल ।
- (ङ) बोर्ड के विधित्वा अधिकारी को लिखित हिसाबते ।
- (च) वैयक्तिक सर्वपरिचारी को पीस के लिए—
- (क) वैयक्तिक सर्वपरिचारी का बिल तथा रसीय,
- (ख) मुख्य विधित्वा अधिकारी को लिखित हिसाबत ।

यहां प्रत्य होने पर संबंधित अनुभाग अधिकारी संबंधित विभाग के अपने अनुमान में रखे जाने वाले विधित्वा बिल रजिस्टर में लिख लेने और उसके बाद साथ ही मुख्य विधित्वा अधिकारी के पास भेजने करने केवल उन मामलों की छोड़कर जिनका इलाज बोर्ड के विधित्वाधिकारी द्वारा हुआ है, इस बृहत्फल के साथ यह उल्लेख करते हुए कि इलाज के दौरान कर्मचारी सुदृष्टी पर था या नहीं। अथवा यह नांभ की वार मुख्य विधित्वा अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि क्या इलाज ठीक हुआ है या नहीं और जो इलाज लिखी गयी है वे रसीयार्थ है। और जब यह जाने बिल सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पास भेज दिया। और बिल सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में जाने का संबंधित सलाहकार के साथ नांभ किया जाएगा कि क्या वे विधेयनों के उपबंधों के अनुसार है या नहीं। जब कर्मचारी को दिना करने वाला डाक्टर का हिसाब किया जाएगा और बिल सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बिल को पास करेगा। और संबंधित कर्मचारी के पास में भुगतान कापेज जारी करने के लिए संबंधित अनुभाग कर्मचारी के पक्ष में भुगतान कापेज जारी करने के लिए संबंधित अनुभाग को उपयुक्त सूचना देगा। मुख्य विधित्वा अधिकारी तथा बिल सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में उपयुक्त विधित्वा बिल रजिस्टर रखा जाएगा।

टिप्पणी—

बोर्ड के विधित्वा अधिकारी द्वारा या उनके प्राधिकृत परिवार के सदस्य के इलाज के मामले में विधित्वा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए क्या संबंधित कर्मचारी अपने विभाग में संबंधित वैयक्तिकसम्भं तथा सलाहकार प्राधिकारी के साथ प्रस्तुत करेगा। संबंधित विभाग उसके बाद बी-20 बिल बनाएगा जिस पर आवश्यक कार्रवाई के उपरान्त बिल सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा कर्मचारी की भुगतान किया जाएगा।

- (2) यदि कोई बिल मार्ग में भी जाए।
- (i) जब बिल वास्तव में मुख्य विधित्वा अधिकारी की उपस्थिति किया जाएगा तब अनुभाग अधिकारी बिल को रजिस्टर प्रमाणित करेंगे कि क्या प्राचीन के पक्ष में इस बिल के संबंधित कोई भुगतान आदेश तथा उसके संबंधित अन्य विवरण जारी किया गया है या नहीं।
- (ii) मुख्य विधित्वा अधिकारी इस बात को प्रमाणित करने कि क्या बिल उनके विभाग में प्रस्तुत हुई थी? क्या उसके किसी अधिकारी ने बिल को जांच की थी? और क्या बिल पर कोई प्रतिपूर्ति या अन्य बात लिखी गयी थी?

- (iii) बिल सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उनके विभाग द्वारा भुगतान के लिए ऐसा बिल रजिस्टर की गयी थी या नहीं? मुख्य विधित्वा अधिकारी एवं बिल सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के आत्मपत्र प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के बाद अनुभागीय अधिकारी द्वारा अनुसंधान बाजनों के साथ या उसके बिना उन प्रमाण पत्रों के साथ बिल सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के माध्यम से पूरा या प्राकृतिक गैरों स्विति ही भुगतान के लिए एक अनुसंधान बिल रजिस्टर के पास अध्याय या उपअध्याय को भंडारी की प्राप्ति हेतु भेजा जाएगा।

अध्याय—4—कुछ बीमारियों और इलाजों का बर्तन

विधेयन—15—कुछ बीमारियों और इलाजों का बर्तन— इस विधेयनों के विषय क्षेत्र में बर्तित है।

- (i) प्रस्ताव तथा उसके उपरान्त ह्रासत या सीधे धारोप्य गर्भ या प्रसव ।
- (ii) उन्माद—परन्तु अन्य मानसिक बीमारियों को इलाज की जाएगी यदि मुख्य विधित्वा अधिकारी को राय में वे बीमारियां अत्यंत गंभीर में तथा द्वारा ठीक किया जा सकता है ।
- (iii) बीज—परन्तु मुख्य विधित्वा अधिकारी के लिखित हिसाबत पर प्रमाणित कोई प्रयोगवाचक या स्थूल चालक दुर्घटना मेडिसिन, कलकत्ता द्वारा लिखित आदेशपत्रों की प्राप्ति की प्रतिपूर्ति को जाएगी ।
- (iv) तीव्र ज्वरानुत्त को बीमारियां जिनमें प्रलय रहने की संभावना होती है अर्थात् ईजा, चेरी, प्लेग, टिफस, प्रसंकरण, प्रसं, पोनिफो का संयुक्त रूप, मैरीबोलिफिल मेडिकनादटिव प्रादि । रिपेरियास रोग का इलाज लक्ष्मी की या सकता है पर यदि प्राकृतिक प्रत्यक्ष में नहीं गयी किवा ना संयुक्त ।
- (v) कार्डियोमा, सरकोमा प्रादि के समान सामाजिक बीमारियां । परन्तु यदि मुख्य विधित्वा अधिकारी की राय में हांगी के प्रलय प्रमाण में स्वस्थ हो जाने का अत्यंत संभावना है, तो उपरान्त इलाज किया जा सकता है ।
- (vi) ऐसी बीमारियां जो रोगी को धमकवित करती है ।
- (vii) बीज रोग (बीज) ।

टिप्पणी—(1) कर्मचारी मुख्य विधित्वा अधिकारी द्वारा लिखित बोर्ड के अलावा तथा बीमारीयों में एंटी-ट्यूबर क्यूरोसिस का इलाज कर सकते हैं। के. एच. राय, प्रसंतात ट्यूबर क्यूरोसिस रिजिफ एंकोसिएशन और नेत्राली सुभाष चन्द्र सेमिटीरियस, कलकत्ता या किसी अन्य संस्थान में जहाँ बोर्ड द्वारा कुछ गैरों रखी गयी है, में कर्मचारियों के प्रत्यक्ष इलाज को व्यवस्था है पात्र प्राधिकृत परिवार के सदस्य के ट्यूबर क्यूरोसिस के इलाज के लिए केवल बी-20 प्रमाणपत्र के सहित तथा बोर्ड प्रमाणपत्र के प्रेसिडेंट लिखित (वर्हरण) में ही व्यवस्था है।

(2) उपर्युक्त मामलों में वे किसी एक मामले में भी संदेह या मतभेद उत्पन्न होने पर मुख्य विधित्वा अधिकारी की राय ही धरितन माने जाएगी ।

(3) ऐसे रोग को इलाज की सुविधा जिन्को इलाज के लिए अभी तक भारत में प्राकृत रूप में निम्नलिखित प्रापरेशन की व्यवस्था नहीं है—

- (i) काबावर किन्को ट्रांसप्लांट ।
- (ii) पुराने प्रापरेशन किए गए बाई-वात, तबरी की नामने (निम्न प्रापरेशन प्रापरेशन बिदेक में किया गया था) जिन्को पुनर्व्यवस्था की प्रापरणकता है ।
- (iii) बीज-मारी ट्रांसप्लांट ।

उपरोक्त ट्रांसप्लांट नामों का प्रकाशन बुद्धि

(4) संविधान विधानसभा संघर्ष सुनने से।

संसदीय के रोने के इलाक में संबंधित उपर्युक्त उपरोक्षण को ध्यानपूर्वक के लिए विवेक में हुए चर्चा की प्रतिपत्ति उस हीमा तक की जाएगी जैसा कि मेडिकल बोर्ड जिसे कि जहाँ प्रयोजन के लिए बनाया गया था, द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बोर्ड यह विचार करेगा कि क्या उपरोक्षण आवश्यक है या नहीं। ऐसे मामले परमके उपरोक्षण की सुविधा प्राप्त में उपलब्ध नहीं है जब मेडिकल बोर्ड उस पर होने वाले चर्चा का निर्धारण करेगा। यदि वही सुविधाएं नाला में पूर्ण का के होने पर जो चर्चा होता तथा जिसकी प्रतिपत्ति को जाली, उनी राशि द्वारा मेडिकल बोर्ड की निर्धारित राशि को निर्धारित किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड का संगठन इस प्रकार होगा जैसा कि मूला विधिसभा संविधानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा मूला विधिसभा संविधानों के अनुसार उनमें संबंधित संसदीय के विधियों को शामिल होंगे। उपरोक्त उपरोक्षण करने की व्यवस्था भारत में है या नहीं के बारे में मेडिकल बोर्ड अपनी राय को देगा।

विनियम--

संसदीय विधान के लिए यह व्यवस्था सभ्य का है जो उसे है कि यदि संसदीय उपरोक्षण करने के लिए जिसे विरोधी देश की प्रतिपत्ति का परम उत्साह प्रदर्शित करता है तो उपरोक्षण करने की शक्ति की प्रतिपत्ति नहीं की जाएगी।

अध्याय VI-सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए विधिसभा सुविधा

विनियम--15-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर गए हैं--(1) वे कर्मचारी जो सेवा निवृत्त हो गए हैं या जो अब के कम 5 वर्ष तक बोर्ड के समक्ष सेवा करने के बाद सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर गए हैं, वे अपनी पसंद से तथा निर्धारित मूल्य के मुताबिक पर कुछ निर्धारित संशोधनी विधिसभा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऐसी विधिसभा सुविधाएं केवल सेवा निवृत्त कर्मचारी तथा यह कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर हैं जिनके तथा अपनी पत्नी को ही देना होगा। (इसके जाने बिना रोने नहीं करेगा।)

(2) रोने को यह विधित रूप में घोषणा करवा होगा कि वह और उनकी पत्नी या यदि ऐच्छिक कारण पर पार्षों का उपरोक्षण करवा चाहते हैं और ऐसी राशिक राशि लेने के इच्छुक हैं जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। रोने को यह घोषणा करने की छुट्ट देनी कि वह अपने ही इस लाभ का उपयोग करेगा, अपनी पत्नी या सहित। कर्मचारी के संबंध में उक्त राशि इस लाभ का उपरोक्षण नहीं करेगी। यदि कोई कर्मचारी किसी भी समय अपना नाम उठा लेना चाहे तो यह कर्मचारी कितने वर्ष की समाप्ति की तारीख के ऐसा कर सकते हैं। रोने के मर जाने से उनकी पत्नी अपनी पसंद से निर्धारित अंशदान के मुताबिक पर उन सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। सेवा के दौरान यदि कर्मचारी की विधिसभा में निर्धारित प्रभारों के मुताबिक पर इन विधिसभा सुविधाओं का लाभ उठा सकती है।

(3) पार्षों का निर्धारण बोर्ड परपार्षों या औपचारिकों के सहोदर रोने विभाग में इतना तक सीमित रखा जाएगा जहाँ प्रसार इतना किया जाएगा जैसा पत्र के निर्धारित कर्मचारियों का वहां इतना किया जाता है। रोनेओं की सीमाओं और वेदों तथा वही की जाएगी और वही पार्षों की मात्रा जिसे बोर्ड के विधिसभा अधिकारी के प्रेक्षिकाल पर किया गया हो और जिसे उनको खरोदना पड़ा हो कि प्रतिपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) निर्धारण प्रसार का इतना विधमें बोर्ड के परपार्षों की उपरोक्षण में नैरोटरी और एकरे सुविधाएं शामिल है, निर्धारित प्रभारों के मुताबिक पर जैसा कि समय-समय निर्धारित हो, संशोधित होता है कि कर्मचारी पार्षों के लिए निर्धारित प्रभार पर अंशदान किया जाएगा।

- (1) सेवा निवृत्त 4 सेमी कर्मचारी--2/- रु. प्रतिमास
- (2) सेवा निवृत्त 3 सेमी कर्मचारी--4/- रु. प्रतिमास
- (3) सेवा निवृत्त 2 सेमी कर्मचारी--6/- रु. प्रतिमास
- (4) सेवा निवृत्त 1 सेमी कर्मचारी--8/- रु. प्रतिमास

यदि कर्मचारी सुविधाओं का लाभ अपने लिए उठाता है और अपनी पत्नी के लिए नहीं उठाता तो उपरोक्त राशि का फलन बाका ही देना होगा। ये दरें बोर्ड द्वारा अपने विवेक के समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। सांशोधित दरें साधारणतः परपार्षों सांशोधन के प्रयत्ने। परीक्षा में प्रचाली होगी।

विनियम--17-सर्वे विधि--विधय 16 के प्रदर्शित विधिसभा सुविधा के इच्छुक कर्मचारियों को अपने विधानसभा नहीं वे सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने से पहले पर्यटन के, के माध्यम से उपरोक्षण के पास उपरोक्षण करना होगा। इस उपरोक्षण के लिए बोर्ड एक पर्यटन पर निर्धारित कर सकते हैं। संबंधित राशि को बोर्ड से एक उपरोक्षण परपार्षों को आवश्यकता होती विधके लिए ली 2 1/2 रु. का सेवा दर जो परपार्षों द्वारा निर्धारित किया जाए, देना होगा। जब कोई कर्मचारी इन पार्षों का उपयोग नहीं करना चाहेगा, पर ली परपार्षों परपार्षों पर बोर्ड के साथ उठाकर देना होगा। यदि उपरोक्षण पर ली जाया है पर 2 1/2 रु. मुताबिक परपार्षों पर ली राशि को परपार्षों द्वारा निर्धारित की जाए, मगर उपरोक्षण पर जारी किया जाएगा।

संबंधित कर्मचारियों को अपने अंशदान का मुताबिक 6 महीने के लिए एक ही साथ प्रेषित करना होगा।

बोर्ड को यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो किसी को समय इसे निर्धारित पर लय या एक पार्षों को कल्प सकता है। यदि इन पार्षों पार्षों के या उपरोक्षण पार्षों में से किसी कर्मचारी के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होगा, तो परपार्षों का निर्धारण ही प्रेषित होगा।

विनियम--18-सेवा निवृत्त कर्मचारी सेवा निवृत्ति पूर्व (परपार्षों इलाक) छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए विधिसभा पार्षों का विधिसभा की सुविधाएं-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को संशोधन विधिसभा पार्षों को सुविधा की व्यवस्था संशोधनी होगी और जो कर्मचारी इसे पसंद करेगा उसे अपनी पूरी सेवा के साधारण परपार्षों निवृत्ति विधि से सेवा निवृत्ति कराया 25 वर्ष की भी अधिक हो, बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर राशिक अंशदान करना होगा। वे कर्मचारी जो पहले सेवा में हैं और सेवा निवृत्त के कारण पर है वे भी इन सुविधाओं के लिए विधिसभा के पार्षों हैं पार्षों को उनकी पूरी सेवा अवधि या 25 वर्ष की भी अधिक हो, के लिए जैसा कि बोर्ड निर्धारित करे, की दर पर वे एक मूला अंशदान करने के इच्छुक हो।

विनियम--19-कर्मचारी की निर्धारण विधि के बाद को विधिसभा इलाक का जारी होगा--कुछ विधिसभा अधिकारी परपार्षों या उपरोक्षण की अनुपत्ति के बिना कर्मचारी की निर्धारण विधि यह विधि विधि पर कर्मचारी सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाया है के बाद को लान महीने तक जारी रख सकता है और यदि वह आवश्यकत परपार्षों कि जोन महीने की अवधि के बाद जो इलाक जारी रहेगा तब वह उपरोक्षण लान महीने के पीछर ही अंशदान का उपरोक्षण का उपरोक्षण प्राप्त कर लेगा।

अध्याय VII-विधि

विनियम--20-परपार्षों का निर्धारण प्रेषित होगा--कर्मचारी के लिए जहाँ निर्धारण रूप के व्यवस्था की गयी है, को छोड़कर इन विधिसभा में उपरोक्षण सभी प्रसंग पर परपार्षों का निर्धारण प्रेषित होगा। यदि परपार्षों यह समझें कि पार्षों को उपरोक्षण के बारे में संदेह का बोर्ड

एक ही लो वे इन विनियमों के अन्तर्गत विहितता यथा की प्रतिष्ठित के विस्तार भी दावे के अन्तर्गत की जा सकती हैं। इसके पहले किसी बात को होने हुए भी बोर्ड अपने विवेक पर योग्य मामलों में उपरोक्त विनियमों के किसी भी विनियम में सुद दे सकता है।

विनियम—21—निष्पन्न और कथित—(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने से हर नियम, विनियम, संकल्प या ऐसे प्रारंभ के अन्तर्गत करने लागू

करके इन विनियमों में अन्तर्लिखित किसी भी मामले के लिए जहाँ तक कि इनमें उल्लेखित है, का परिपालन बन्द हो जाएगा।

(2) अन्तर्गत की ऐसी शर्तों के अन्तर्गत पुनः नियम, संकल्प, संशोधन के अन्तर्गत की यथा कोई बात या करवाई को ऐसा मान लिया जाएगा कि इसे इन विनियमों के अन्तर्गत उनमें से के अन्तर्गत हो किया गया है।

[भा. सं. की. भा. सं.—12016/17/86—पी ई—भा. सं.]
श्रीमन्त नारायण, संकल्प सचिव

कलकत्ता बोर्ड ट्रस्ट

कलकत्ता पीई ट्रस्ट सर्वेचारी (विहितता)

देवा और इलाह) विनियम, 1988 के

विनियम 14 के अन्तर्गत दावा प्रपत्र

विश्व लक्ष्मण एवम् मुख्य अधिकारी,

(विभागाध्यक्ष, अनुदान और मुख्य विहितता अधिकारी के माध्यम से)

नाम

पद नाम _____ पते/पता _____

पदवाचक पत्र सं. _____ विभाग _____

परिवार घोषणा कार्य सं.

स्थानीय पता _____

उप _____ तिग _____

माता पिता के नाम (1) _____

(2) _____

(3) _____

सम्पर्क (1) _____

(2) _____

(3) _____

र. _____ से. _____

11
कि
का
मा
दी
का

बाधे का विवरण—

- (i) दाना कम हेतु
- (ii) अस्पताल- प्रभार हेतु
- (iii) नर्सिंग होम प्रभार हेतु
- (iv) विशेषतः शुल्क हेतु
- (v) वैयक्तिक डाक्टर के भाग्य के कुल हेतु
मु. वि. म. द्वारा प्राधिकृत इन्स्पेक्शन हेतु

बोर्ड—

- में अनुरोध करता है कि इसे नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य राशि की प्रकृति की जाये।
- में घोषणा करता है कि रीसी/रोसियों के नाम (1)
- (2)

घरे साम रहते है और मुझ पर कुपोषण स्थापित है। अस्पताल/नर्सिंग होम/में नर्सों/विशेषतः की दिखाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पूर्व अंतरवर्ती अनुमति से ली गयी थी।

संलग्न बाउन्डरियों की संख्या

दिनांक _____ हुस्तालर या कर्मचारियों के बाधे हुए के अंगुठे का निम्नानुसार मु० वि० प्र०

अधिकाधिक प्रमाणित किया जाता है कि रीसी/रोसियों के नाम कर्मियों के परिवार के सदस्य होने की घोषणा की गयी है और चिकित्सा सेवा नियम के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी पट्टान पत्र में तदनुसार दर्ज किया गया है।

विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष का हुस्तालर

मित्र असाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

इत्याय उक्त है विशेषतः नर्सों/विशेषतः के अन्तर्गत स्वीकार्य है। अस्पताल/नर्सिंग होम/में नर्सों/विशेषतः की दिखाने हेतु मैंने प्राधिकृत किया था।

दिनांक _____

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

*जो लागू न हो उन्हें काट दें।

लेखा अधिकारी, निम्न नाम उप-अनुभाग के अन्तर्गत _____ के लिए प्राप्ति प्राप्त किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 1989

G.S.R. 610 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989

CHAPTER I

PRELIMINARY

Preliminary.—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963) the Board on Trustees of the Port of Calcutta hereby makes the following regulations, namely :—Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989.

Regulation 1—Short Title.—These regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989.

Regulation 2—Extent of Application.—These Regulations except those contained in Chapter VI shall apply to all the employees of the Board of Trustees for the Port of Calcutta who are in whole time employment of the Board of Trustees for the Port of Calcutta when they are on duty, leave or foreign service in India or when under suspension. Regulations contained in Chapter VI (i.e. Regulations 16, 17, 18 and 19) shall apply to retired employees.

NOTE 1.—These Regulations do not apply to :—

- (i) Employees of the Board of Trustees for the Port of Calcutta who are on leave or deputation abroad,
- (ii) These Regulations apply to :—
 - (a) Employees of the Board of Trustees for the Port of Calcutta on their re-employment under the service of the Board of Trustees for the Port of Calcutta, irrespective of the service in which they belonged at the time of retirement;
 - (b) A probationer.

- (c) Apprentices who are in the whole time service of the Board of Trustees for the Port of Calcutta.

NOTE 2.—In regard to medical concessions, the employees of the Board of Trustees for the Port of Calcutta while on deputation will be governed by the Regulations of the borrowing organisations. The borrowing organisations may, however, if they so desire, apply the Regulations of the Board of Trustees for the Port of Calcutta to such deputationists.

NOTE 3.—The concessions granted under these Regulations to employees of the Board of Trustees for the Port of Calcutta are applicable to their families as well, subject to such conditions or exceptions, as specified in these Regulations.

Regulation 3.—Definitions.—In these Regulations unless the context otherwise requires :—

- (a) "Board" shall mean the Board of Trustees for the Port of Calcutta.
- (b) "Chairman" shall mean the Chairman for the time being of the Board of Trustees for the Port of Calcutta.
- (c) "Deputy Chairman" shall mean the Deputy Chairman for the time being of the Board of Trustees for the Port of Calcutta.
- (d) "Authorised Medical Attendant" shall mean the Chief Medical Officer or the Chief Physician, Chief Surgeon or Medical Superintendent, a Senior Medical Officer or a Medical Officer under the employ of the Board as may be nominated by the Chief Medical Officer for the purpose of attendance on and treatment of employees and their dependent family members.
- (e) "Chief Medical Officer" shall mean the Board's Chief Medical Officer or any other Medical Officer authorised in his behalf.
- (f) "Board's Hospital" shall mean the Hospitals or Dispensaries maintained by the Board.
- (g) "Nurse" shall mean a qualified Nurse holding a certificate or diploma registered under the State Medical Faculty.
- (h) "Private Doctor" shall mean a registered medical practitioner other than a Medical Officer in the employ of the Board qualified in the Allopathic system of medicine but does not include a practitioner in Ayurvedic, Unani or Homoeopathic and any other indigenous systems of medicine
- (i) "Public Hospital" shall mean a State Hospital or a State aided Hospital.
- (j) Medical Attendance in relation to an authorised medical attendant shall mean attendance in his consulting room or the Board's Hospital or Dispensaries to which he is attached or at the residence of the Board's employee, including such pathological, bacteriological, radiological or other methods

of examination for the purpose of diagnosis as are available in the Board's Hospital or Dispensaries or consulting room and are considered necessary by the Authorised Medical Attendant. It also includes such consultation with a Specialist, as the Chief Medical Officer certifies to be necessary to such extent and in such a manner as the Specialist may, in consultation with the Chief Medical Officer determine.

NOTE 1.—"Medical Attendance" includes attendance at the Board's Hospital/Dispensary or at the residence of the Board's employees or at the consulting room of the authorised medical attendant whether maintained at the Hospital or at his own residence, by arrangement with him.

NOTE 2.—The term "consulting room maintained by an authorised medical attendant at a Hospital" means consulting room at his residence allotted to him in the Hospital compound and that no authorised medical attendant should charge any fee for attendance upon or professional service rendered to any person whether an employee of the Board or a member of his family, at the Hospital premises during Hospital/Dispensary hours.

NOTE 3.—Where a patient after being cured of a particular illness develops a "fresh" illness and consults the same physician, that consultation should be regarded as a "fresh consultation" and may be charged at full rates.

NOTE 4.—Where a patient consults the same physician in regard to super-imposition of another disease during the course of treatment for one disease, that consultation should be regarded as a "fresh consultation" and charged for at full rates.

- (k) "Patient" shall mean a Board's employee to whom these Regulations apply and who has fallen ill.
- (l) "External Medical Service Unit" shall mean the unit under the Board's Chief Medical Officer which is comprised of Board's Medical Officers who attend to employees and their dependent family members at their residence.
- (m) "Hospital Charges" shall mean actual amount at the scheduled rates realised by a Hospital from an employee for treatment in the in-patient ward inclusive of pathological, bacteriological, radiological and cardiological examinations and includes cost of private nurses/attendants as may be engaged on the recommendation of the Chief Medical Officer.
- (n) "Nursing Home Charges" shall mean the actual amount of the scheduled rates realised by the Nursing Home from an employee for accommodation, medicines, nursing, such pathological, bacteriological, radiological and cardiological examination as are authorised by the Trustees' Chief Medical Officer.

(o) "Treatment" shall mean the use of all medical and surgical facilities available at the Board's Hospital in which the employee is treated and includes:

- (i) The employment of such pathological, bacteriological, radiological or other methods as are considered necessary by the authorised medical attendant.
- (ii) The supply of such medicines, vaccines, sera or other therapeutic substances, as are ordinarily available in the Board's Hospital.
- (iii) Supply of such medicines, vaccines, sera or other therapeutic substances not ordinarily so available, as the authorised medical attendant may certify in writing to be essential for the recovery of the patient or for the prevention of serious deterioration in the condition of the patient except the items mentioned below, namely :
 - (a) Preparations which are not medicines but are primarily foods, tonics, toilet preparations or disinfectants, and
 - (b) Expensive drugs, tonics, laxatives or other elegant and proprietary preparations for which drugs of equal therapeutic value are available,
 - (c) Such accommodation as is ordinarily provided in the Hospital,
 - (d) Such nursing as is ordinarily provided to inpatients in the Board's Hospitals.

NOTE—1.—Charges for an attendant (including an Ayah) are not reimbursable under these Regulations.

NOTE—2.—In serious cases private nurses/attendants may be engaged in hospitals or nursing homes with the prior approval of the Chief Medical Officer. It is, however, open to the Chief Medical Officer, if he is satisfied, to give his approval subsequent to engagement in emergent cases. The cost of engagement of private nurses/attendants will be borne by the Board to the extent as provided for in Regulation 11 (c) (d) provided such engagement is certified by the Chief Medical Officer.

Chapter—II—Extent of Medical Facilities

Regulation—4.—Facilities of Medical Attendance.—(i) An employee shall be entitled, free of charge to medical attendance by the authorised medical attendant.

(ii) Employees living in such Board's quarters or other areas as may be notified from time to time shall be eligible for medical attendance at their residence by the Board's medical officers when the illness is so severe that the patient cannot attend at any of the Board's hospitals or dispensaries.

In emergent cases until one of the Board's medical officers has taken charge of the case, a private doctor may be called in but the reimbursement of expenditure incurred for medical attendance shall be

subject to the condition that the case has been reported to the External Medical Service Unit at the earliest possible opportunity and in any case not later than 24 hours from the time the private doctor has been called in. Half the fee of the private doctor subject to a maximum of Rs. 10 per day or such amount as may be sanctioned by the Board from time to time shall, on certification by the Chief Medical Officer be reimbursed by the Board.

(iii) Employees not living in the Board's quarters or areas as referred to in Sub-regulation (ii) above shall be entitled to receive medical attendance at their residences from the private doctor of their choice if the illness is no severe that the patient cannot go to any of the Board's hospitals or dispensaries. In case of any doubt as regards severity of the illness, the decision of the Chief Medical Officer shall be final. In such cases, half the fee of a private doctor subject to a maximum of Rs. 10 per day or as may be revised from time to time by the Chairman shall, on certification by the Chief Medical Officer, be reimbursed by the Board.

(iv) Where an employee himself is suffering from an illness, which does not necessitate absence from duty, he shall attend at the out-patients' Ward of the Board's Hospitals or dispensaries.

Regulation—5—Facilities of Medical Treatment.—An employee of the Board shall be entitled free of charge, to treatment—

- (i) At any of the Board's Hospitals/Dispensaries. Admission to the in-patient ward shall be restricted to the employees but members of their families may also be admitted, subject to the availability of beds. The testing and treatment of ambulatory eye cases, treatment of ambulatory dental cases and the treatment of ambulatory ear, nose and throat cases shall be done at the Board's Hospitals.
- (ii) Employees living in Board's quarters or other areas as referred to in Sub-regulation (ii) of Regulation 4 shall be eligible for treatment at their residences by the Board's medical officers when the illness is so severe that the patient cannot attend at any of the Board's hospitals/dispensaries. In emergent cases until one of the Board's Medical officers has taken the charge of the case, a private doctor may be called in, but the reimbursement of medical expenses incurred for the treatment shall be subject to the condition that the case has been reported to the External Medical Service Unit at the earliest possible opportunity and in any case not later than 24 hours from the time the private doctor had been called in.
- (iii) Employees not living in Board's quarters or areas as referred to in Sub-regulation (ii) of the Regulation 4 shall be entitled to receive medical treatment at their residence from the private doctors of their choice if the illness is so severe that the patient cannot go to any of the Board's hospitals or dispensaries. In case of any doubt of severity of the

illness the decision of the Chief Medical Officer shall be final. The cost of medicines and any pathological, bacteriological, cardiological and radiological examinations as may be required will be reimbursed in full on the certification of the Chief Medical Officer.

- (iv) Where an employee himself is suffering from an illness which does not necessitate absence from duty he shall attend at the out-patients' ward of the Board's hospitals or dispensaries for treatment.

Regulation—6.—Facilities of medical attendance and treatment during official tour etc.—(1) An employee who falls sick while on leave shall be entitled to medical attendance and medical treatment to the same extent as he would have been entitled to had he fallen sick while on duty provided the employee continues to live at the place from where he attends office.

(2) An employee while on official tour or while on leave for availing of leave travel concession shall be entitled to full reimbursement of medical expenses including the cost of hospitalisation, nursing home, cost of engagement of a private nurse/attendant subject to the limit laid down in Regulation 11(c)(d) and cost of medicines and other diagnostic examinations subject to production of appropriate certificate from a doctor not below the rank of Civil Surgeon or from a Government Hospital. In such cases, it will be necessary to obtain the certification of the Chief Medical Officer that such medical attendance, treatment/hospitalisation etc. was necessary to save the life of the employee.

Regulation—7.—Admission to a Nursing Home/Cabin in Public Hospital.—An employee may be admitted to a nursing home or a paying bed or a cabin in a public hospital in emergent cases with the prior approval of the Chief Medical Officer. The cost of treatment in a nursing home/public hospital including medicines, accommodation, fees, nursing expenses subject to the ceiling laid down Regulation 11(C) and other diagnostic expenses, viz. pathological, bacteriological, cardiological and radiological tests and other expenses, viz. cost of blood, saline or other drips, dressing etc. as may be necessary shall be borne by the Board on the certification of the Chief Medical Officer in the following cases :—

- (a) Where the admission of an employee into Nursing Home or into paying bed or into a cabin in a public hospital is arranged by the Chief Medical Officer in view of lack of adequate facilities in Board's Hospitals.
- (b) Where such admission is initiated by the employee himself or his family members but with the prior approval of the Chief Medical Officer.
- (c) Where such admission is initiated by the employee or his family members, in an emergency and the Chief Medical Officer subsequently certifies that such admission was necessary in order to save the life of the patient.

Regulation—8.—Reference to Specialists.—With the prior approval in writing of the Chief Medical Officer, a patient may be referred to a Specialist if in his opinion the disease is so serious or of such a special nature that consultation and/or treatment by a Specialist is necessary. If the patient is too ill to travel, the Specialist may be called in to attend the patient at the latter's residence. A memo will be issued by the Chief Medical Officer which should be returned to him duly countersigned by the Head of the Department when claiming recoupment of the Specialists fees. The Chief Medical Officer may require the patient to appear before him during the course of the treatment under the Specialist and if he/she fails to do so except on valid grounds, reimbursement of the expenses incurred shall not be made.

The decision of the Chief Medical Officer as regards the selection of Specialist shall be final.

Chapter—III—Concession of Medical attendance and treatment for families of the Board's employees.

Regulation—9.—Medical Attendance and Treatment for families of the Board's employees.—Families of the Board's employees are entitled to medical attendance and/or treatment on the scale and conditions allowed to the Board's employee himself as enumerated in Chapter-II.

NOTE—1.—The provision of this Regulation apply mutatis mutandis for female employees of the Board also.

NOTE—2.—The authorised medical attendant of the family of an employee is the same as the authorised medical attendant of an employee.

Regulation—10.—Definition of the term 'Family'.—The term 'Family' for the purpose of the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989 shall mean an employee's wife or husband, as the case may be, and residing with him/her and parents, children and step children not over 28 years of age and unmarried daughters wholly dependant upon the employee and residing with him/her.

Explanation :

- (a) (i) The term 'Family' does not include any other dependent relations, such as brother, sister, widowed sister etc. The term 'parents' does not include 'step parents'.
- (ii) The term 'children' shall include children adopted legally.
- (iii) The term 'wife' includes more than one wife.
- (iv) A family member shall be regarded as "wholly dependent" on an employee if his/her total recurring monthly income from all sources does not exceed Rs. 250 per month subject to revision of the same by the Chairman from time to time. The declaration regarding the income of wholly dependent family members shall be furnished by the employee concerned once in the beginning of each calendar year.

(v) A female employee will be given the choice to include either her own parents or her parents-in-law for the purpose of availing of the benefits of the medical concession under these regulations provided such parents/parents-in-law are wholly dependent on her and are residing with her.

(b) The husband or wife of the employee, as the case may be, employed in the State Government or in the Defence/Railway services or Corporation/Bodies financed partly or wholly by the Central or the State Government, local bodies and private organisations, which provide medical services would be entitled to choose either the facilities under the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989 or the medical facilities provided by the organisation in which he/she is employed.

(c) In a case where both husband and wife are Board's employees, they as well as the eligible dependants may be allowed to avail of the medical concession according to his/her status. For this purpose, they should furnish to their respective Heads of Departments a joint declaration as to who will prefer the claim for reimbursement of medical expenses incurred on the medical attendance and treatment in respect of wife/husband and the children. The above declaration shall be submitted in duplicate and a copy shall be forwarded to the Accounts Department. This declaration shall remain in force till such time it is revised on the express request in writing by both the husband and the wife, e.g. in the event of promotion, transfer, resignation etc. of either of the two. In the absence of such a joint declaration, the medical concessions shall be availed of by the wife and the children according to the status of the husband.

Chapter IV—Extent of reimbursement and procedure for submitting claim for reimbursement.

Regulation-11 — Reimbursement.—Reimbursement (A) : All medicines including salines or any kind of drips, blood, oxygen and other life saving appliances including pace-maker, pulse generator prescribed by the Board's Medical Officer or by specialists consulted on the advise of the Chief Medical Officer, shall be supplied free of cost from the Board's dispensaries, but any such item not available at the Board's dispensaries or medicines prescribed by a private doctor under Sub-regulations (ii) and (iii) of Regulation 5 and medicines prescribed by the nursing home or the hospital authorities, where a patient has been admitted with the approval of the Chief Medical Officer, may be purchased and the Board shall, on certification by the Chief Medical Officer, reimburse the cost. The Board shall not reimburse the cost of appliances including those in respect of deformity of the body. In case of doubts or difference of opinion arising in respect of any of the above matters, the opinion of the Chief Medical Officer shall be final.

NOTE.—An employee of the Board and his/her dependant members of family as defined in regulation 10 may be provided with pace-maker and replacement of its pulse generator as required on certification

by the Chief Medical Officer. But the payment of initial supply of heart Pace-maker as well as replacement of the pulse generator shall in all cases be made direct to the supplying agency and not direct to the employee concerned.

(B) : Half the fee of the private doctor subject to the maximum of Rs. 10 per day or such amount as may be sanctioned by the Board from time to time will be reimbursed under sub-regulation (ii) and (iii) of Regulation 4.

(C) : Extent to which the Board shall bear the expenditure incurred by employees ;

All employees will be reimbursed to the extent as shown below in respect of the following expenditure provided the same was incurred with the approval of the Chief Medical Officer and provided further the claim to such reimbursement is supported by requisite vouchers :—

- (a) Hospital charges at the rates charged by a Government Hospital or a Government aided Hospital.
- (b) Nursing Home charges as admissible in cases falling under Regulation 6(2) and 7 subject to a ceiling of Rs. 100 per day, provided, however, where Nursing Home Charge has to be paid in excess of Rs. 100 per day, 2/3rds of such charge in excess of Rs. 100 shall also be reimbursible. Provided, further, that Nursing Home charges shall be reimbursible in full in case of an employee injured on duty for undergoing treatment in a Nursing Home.
- (c) Specialist's fees subject to a ceiling of Rs. 50 per visit. In case of injury on duty, however, specialist's fees shall be reimbursible in full.

NOTE.—Where the employee, who is entitled to receive treatment from a private doctor of his choice under the regulations, calls in a specialist without the prior approval of the Chief Medical Officer, the Specialist shall be treated as a general physician and the reimbursement of the cost of fees of the Specialist will be reimbursed to the extent as provided for under Regulation 11(B).

- (d) Private nurse's/Attendant's fee|charges not exceeding Rs. 20 per shift for engagement of a private nurse and Rs. 10 per shift for engagement of a private attendant or such amount as may be fixed by the Board may be reimbursed as recommended by the Chief Medical Officer. If a private Nurse/Attendant is engaged for a period exceeding one week, the special sanction of the Chairman or Deputy Chairman will be required to the reimbursement of the expenses.
- (e) Charges for X-Ray examination or for pathological and similar test carried out by the outside doctors and institution, the amount of reimbursement will be limited to the amount charged by Government Hospitals had such examinations and tests been carried out in Government Hospitals.

(D) : Extension of time limit for submission of medical bills.

Claims for reimbursement of medical expenses shall be preferred by an employee within 6 months from the date of completion of treatment. The Chairman or the Deputy Chairman may extend this time-limit in individual cases depending on the merits of the case.

(E) : All medicines should be purchased latest one week from the date of purchase order issued by the authorised medical attendant. This time-limit may be extended by the Chairman or Deputy Chairman depending on the merits of the case.

Regulation-12—Ambulance facility.—The Board's ambulances may be supplied free to convey non-ambulatory and emergent cases from the residence of employees where such employees reside in the areas/Board's quarters as mentioned in regulation 4(ii) or places of work of the employees to the nearest public hospital or to any of the Board's hospitals or dispensaries, as the case may be.

Ambulance will not be supplied to convey any patient from the hospital to his/her residence or to convey any patient to and from the Hospital as a part of routine treatment.

Regulation-13—Reimbursement of bills relating to injury on duty.—In the case of employees injured on duty all expenses incurred in connection with the medical treatment of such employees inclusive of the cost of false denture, spectacles, artificial limbs and allied appliances may be reimbursed on the recommendation of the Chief Medical Officer.

Regulation-14—Procedure to be adopted by an employee for obtaining reimbursement of medical expenditure.—(1) Claims for reimbursement shall be submitted by the employees in the prescribed form to their Sectional Officers duly supported by the following vouchers within six months from the date of completion of treatment :

- (i) Vouchers for purchase of medicines —
 - (a) Original prescriptions,
 - (b) Cash vouchers,
 - (c) Purchase orders endorsed on prescriptions by the Board's Medical Officer.

NOTE.—(a) Purchase of proprietary medicines and injections must be vouch safed by submission of printed cash memo or bill in proper form.

(b) Each prescription for mixture and/or powder should contain the number as recorded in the prescription register of the dispensary from where supplies have been obtained.

(c) Cross reference of prescriptions of private physicians or purchase orders given on the prescriptions of the Board's Medical Officers should be given in the relative cash memo, i.e. each item of a case

memo should be linked up with the relative prescription or purchase order.

(ii) For hospital charges :—

- (a) Hospital bill and receipt for payment.
- (b) Hospital admission and discharge certificates,
- (c) The Chief Medical Officer's written permission for admission.

(iii) For Nursing Home charges :—

- (a) Nursing Home bill and receipt,
- (b) The Chief Medical Officer's written permission for admission in a Nursing Home.
- (c) Bill and receipt for pathological, bacteriological and radiological examination and cost of medicines.

(iv) For Specialist's fees :—

- (a) The Chief Medical Officer's memo for reference to a Specialist.
- (b) Bill and receipt.

(v) For private Doctor's fees :—

- (a) Bill on the Doctor's letterhead showing dates of visit.
- (c) Certificate of severity of illness stating particulars of disease.
- (c) Receipt for fee for injections, and
- (d) Bill for receipt for pathological, bacteriological and radiological examinations.
- (e) The written instructions of the Board's Medical Officer.

(vi) For private nurse/attendant's fees —

- (a) Private Nurse/Attendant's bill and receipt.
- (b) Written instruction of the Chief Medical Officer.

On receipt of a claim, the Sectional Officer concerned will note down the relevant details in the medical bill register maintained in his section and thereafter forward the claims to the Chief Medical Officer excepting the cases where treatment has been done by Board's Medical Officer with an endorsement indicating whether the employee was on leave or not, during the period of treatment. The Chief Medical Officer will, after necessary scrutiny, certify

whether the treatment is in order and also whether the medicines prescribed are admissible. He will then pass the claim on to the Financial Adviser & Chief Accounts Officer. In the latter's office, the claims will be further checked with relevant vouchers and seen whether they are in accordance with the provisions of the Regulations. The amount to be reimbursed to the employee will then be calculated and a bill will be passed by the Financial Adviser & Chief Accounts Officer with due intimation to the Section concerned for the issue of a pay order in favour of the employee. Appropriate medical bill registers will be maintained in the offices of the Chief Medical Officer and the Financial Adviser & Chief Accounts Officer.

NOTE.—In the case of treatment of an employee or his dependent family members by Board's Medical Officers, claims for reimbursement of medical expenses will be submitted by the concerned employee to his department with supporting prescriptions and vouchers etc. The concerned department will thereafter raise G-20 bill which will be paid to the employees by the Financial Adviser & Chief Accounts Officer after necessary processing.

(2) If a bill is lost in transit.

- (i) The Sectional Officer shall certify the amount of the bill, when the bill was actually forwarded to the Chief Medical Officer, whether any pay order has been issued in favour of the applicant in respect of that bill and other relevant particulars for the purpose.
- (ii) The Chief Medical Officer shall certify whether the bill was received by his department, whether the bill was examined by any of his Officers and whether any adverse or otherwise remarks were given on the bill, and
- (iii) The Financial Adviser & Chief Accounts Officer shall certify whether such a bill was passed for payment by his department or not. After the necessary certificates are received from the Chief Medical Officer and the Financial Adviser & Chief Accounts Officer, a duplicate bill with or without duplicate vouchers shall be sent by the Sectional Officer along with those certificates to the Secretary through the Financial Adviser & Chief Accounts Officer for obtaining the sanction of Chairman or Deputy Chairman to the payment in part or full, as the case may be.

CHAPTER V—Exclusion of certain diseases and treatment

Regulation-15—Exclusion of certain diseases and treatment.—The following diseases and treatment are excluded from the scope of these regulations.

- (i) Childbirth and conditions arising out of or directly attributable to pregnancy and childbirth.
 - (ii) Lunacy—provided that other mental diseases may be treated if in the opinion of the Chief Medical Officer the diseases may be cured by medicine only within a reasonable time.
 - (iii) Leprosy—provided that the cost of specified drugs prescribed by the Premananda Leprosy Dispensary or the School of Tropical Medicine, Calcutta may be reimbursed on the written recommendation of the Chief Medical Officer.
 - (iv) Acute infectious diseases requiring segregation viz. cholera, small-pox, plague, tetanus, rabies, acute anterior polyomyelitis, cerebrospinal meningitis etc. Cases of diphtheria may be treated only if hospitalisation in the relevant wards or any of the public hospital cannot be arranged.
 - (v) Malignant diseases like Carcinoma, sarcoma etc.
- Provided that if in the option of the Chief Medical Officer there is a reasonable chance of the patient's recovery within a short period, treatment may be undertaken.
- (vi) Diseases which are attributable to intemperate habits and conduct of the patient.
 - (vii) Venereal diseases (acute).

NOTE.—(1) The employees are entitled to anti-tuberculosis treatment at Board's hospitals and dispensaries as earmarked by the Chief Medical Officer. There are provisions of indoor treatment of the employees at K. S. Roy Hospital, Tuberculosis Relief Association and Netaji Subhas Chandra Sanatorium, Kalyani or at any other institution where a number of beds are being maintained by the Board.

For the eligible dependent family members, anti-tuberculosis treatment is only provided at CPT Hospital Outdoor and Dock Hospital Chest Clinic (Outdoor).

(2) In case of any doubt or difference of opinion in respect of any of the above matters, the opinion of the Chief Medical Officer shall be final.

(3) The facilities for treatment of ailments requiring the following operations are not yet widely established in India—

- (i) Cadaver kidney transplant.
- (ii) Old operated bye-pass surgery cases (in which the initial operation was done abroad) needing re-vascularisation.
- (iii) Bone-marrow transplant.
- (iv) Operative correction of high myopia cases.
- (v) Congenital cyanot i.e. heart disease.

Expenditure incurred for overseas treatment of the ailments of an employee requiring the above operations may be reimbursed to the extent as may be recommended by a Medical Board constituted for the purpose of making such recommendations. The Board shall consider whether the operations are required to be undergone. In cases where facilities for such operations are not available in India, the Medical Board shall assess the expenditure that might have been necessary to incur had such facilities been established fully in India and the expenditure that may be reimbursed shall be restricted to such amount of expenditure as assessed by the Medical Board. The composition of the Medical Board shall be such as may be decided by the Chief Medical Officer and may include, besides the Chief Medical Officer, a specialist in the concerned field. The medical Board shall also record its opinion as to whether facilities for undergoing the above operations exist in India or not.

NOTE.—For removal of doubt it is expressly provided that the cost of passage to any foreign country in case the employee chooses to avail of facilities in a foreign country for undergoing the operation shall not be reimbursed.

Chapter VI—Medical Facilities to retired employees

Regulation-16—Medical facilities to retired employees/employees who have proceeded on leave preparatory to retirement.—(1) The employees who have retired or proceeded on leave preparatory to retirement after rendering service under the Board for at least five years will be entitled to avail of certain restricted contributory medical benefits on their own option and on payment of the prescribed fees. Such medical benefits will cover only the individual retired employee himself/herself, the employee on leave preparatory to retirement and his wife/his husband (hereinafter called the patient).

(2) The patient will have to make a declaration in writing that he/she and his/her wife/husband propose to avail of the benefits on voluntary basis and will

be willing to pay such monthly amount as may be prescribed from time to time. It will be open to the patient to declare that he/she alone and not his/her wife/husband will avail of the benefit. If at any time any such patient wishes to withdraw subsequently, he/she may do so only from the end of that current financial year. In the event of death of the patient, his wife/her husband may at her/his option continue to avail of the facilities on payment of the prescribed contribution. Widows of employees dying in harness may also be permitted to avail of these medical benefits on payment of the prescribed charges.

(3) The benefits will be limited to treatment at the Out-patients' Departments of the Board's Hospitals and Dispensaries in the same manner as regular employees of the Port are treated there. Costly and patent medicines will not be supplied to the patients, nor will the cost of medicines which may have to be purchased by them on the Board's Medical Officers' prescription be reimbursed by the Board.

(4) Specialised treatment including laboratory and X-ray facilities in Board's Hospitals and Dispensaries may also be provided to the extent possible on payment of specific charges as may be prescribed from time to time.

Contribution will have to be made for the benefits on the following basis :

- (i) Retired Class IV employees—Rs. 2 per month.
- (ii) Retired Class III employees—Rs. 4 per month.
- (iii) Retired Class II employees—Rs. 6 per month.
- (iv) Retired Class I employees—Rs. 8 per month.

Only half the above amounts will be payable if the patient avails of the facilities for himself/herself and not for his/her wife/husband.

These rates may be modified by the Board at their discretion from time to time. The modified rates will ordinarily be brought into effect from 1st April next following modification.

Regulation-17—Procedure.—The persons opting for medical facilities under Regulation 16 shall apply to the Chairman through their respective Heads of Departments in which they were employed before retirement, before they proceeded on leave preparatory to retirement.

The Board may prescribe a form of application for the purpose.

The persons concerned may be required to take a suitable identity card from the Board for which a

1562G/89-3

charge of Rs. 2 or such rate as prescribed by the Chairman will be recoverable. The identity card will have to be surrendered to the Board when any of the persons availing of these benefits wishes to withdraw from it. If the Identity Cards are lost, duplicate will be issued only on payment of Rs. 5 or such amount as may be prescribed by the Chairman.

The persons concerned will have to make payment of their contribution in advance for six months at a time.

The Board will have the discretion to suspend or discontinue or modify the benefits at any time.

If any question arises about the scope of these benefits or interpretation of any of the above clauses, the decision of the Chairman shall be final.

Regulation-18—Facilities for extending medical benefits to retired employees/employees on leave preparatory to retirement (Indoor Treatment).—The facilities for providing indoor medical benefits to the retired employees should be contributory and that employees opting for it should make a monthly contribution at a rate to be decided upon by the Board throughout their entire service, i.e. from the date of appointment till their retirement or for 25 years, whichever is higher. Employees who are already in service and are on the verge of retirement may also be allowed to opt for the facilities provided they are willing to make a lump sum contribution at the rate as may be decided upon by the Board for their entire service period or for 25 years whichever is higher.

Regulation-19—Continuance of medical treatment beyond the date of superannuation of an employee.—The Chief Medical Officer may continue the treatment of an employee upto three months beyond the date of superannuation or the date on which an employee proceeds on leave preparatory to retirement without approval of the Chairman or Deputy Chairman and he shall take the approval of the Chairman or Deputy Chairman within the said period of three months if he finds it necessary to continue the treatment beyond that period.

Chapter-VII—Miscellaneous

Regulation-20—Decision of the Chairman shall be final.—Except where specifically provided for otherwise, the decision of the Chairman on all questions arising out of these regulations shall be final. He may disallow payment of any claim for recoupment of medical expenses under these regulations if he considers that there is an element of doubt regarding the genuineness of the claim. Notwithstanding anything contained hereinbefore, the Board may, at his discretion, relax any of the regulations mentioned in deserving cases.

Regulation-21—Repeal and Savings.—(1) On the commencement of these regulations, every rule, regulation, resolution or order in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these regulations, cease to operate.

(2) Notwithstanding such cessation of operation, anything done or any action taken under the old rule, resolution or order shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

[F. No. PR-12016/17/86-PE-1]
YOGENDRA NARAIN, Jr. Secy.

CALCUTTA PORT TRUST
FORM OF CLAIM UNDER REGULATION 14 (1) OF THE CALCUTTA PORT TRUST EMPLOYEES'

(Medical Attendance & Treatment)

Regulations, 1986.

The Financial Adviser and Chief Accounts Officer,
(Through the Head of Department, Section and the Chief Medical Officer)

Name _____
Designation _____ Scale of pay _____
Identity Card No. _____ of Department _____
Family Declaration Card No. _____
Local Address _____

	Age	Sex
Name/s of patient/s (1) - _____		
(2) _____		
(3) _____		
Relationship (1) _____		
(2) _____		
(3) _____		

Details of Claims:—

(i) for purchase of Medicines

(ii) for Hospital charges

(iii) for Nursing Home charges

(iv) for Specialists' fees

(v) for Private Doctor's fee

for visits

for injections authorized by CMO

Total Rs. _____ P. _____

I request that I may be reimbursed with the amount admissible under the Rules.

I declare that the patient/patients (Name) (1) _____

(2) _____

(Relationship) (1) _____

(2) _____

is/are residing with and wholly dependent on me.* The admission into Hospital/Nursing Home/Reference to Specialists was made with the C.M.O.'s prior/subsequent approval.

Number of vouchers enclosed _____

Date _____ Signature or Left Thumb Impression of Employee

C.M.O.

Forwarded Certified that the patient/patients named in the claim has/have been declared to be members of the applicants family and Registered accordingly in the identity Card issued by this office under the Medical Attendance Rules.

Signature of Head of Department/Section.

F.A. & C.A.O.

Treatment is in order. Medicines prescribed are admissible under the Rules.* Admission into Hospital/Nursing Home/Reference to Specialists was authorised by me.

Date _____

Chief Medical Officer.

*Score out whichever is inapplicable.

Recompment bill passed for Rs. _____ under Accounts Officer, Fringe Benefits Sub-section.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART 11—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 1993/अश्विन 6, 1915
No. 335] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1993/ASVINA 6, 1915

अल-मुद्रक परिचयन संशोधन

(पता नका)

संशोधन

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1993

सा. का. वि. 633 (अ)—महा पता नका अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ प्रति तथा धारा 124 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रकाशित कृतियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अल-मुद्रक पता नका के कर्मचारियों के लिए (बिफिल्टा परिचयन व उपधारा) प्रथम संशोधन, 1993 को मद्रास पता नका के न्यायी संशुद्धि द्वारा संशोधन किया गया है, का अनुमोदन करता है, जो अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदी में रखा गया है।

2. कृषि अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

[संख्या की. भा. - 12016/7/92-पी. ई. 1]
सचिव नो. की, संयुक्त सचिव

अल-मुद्रक पता नका कर्मचारियों
(बिफिल्टा परिचयन व उपधारा)
प्रथम संशोधन अधिनियम, 1993

महा पता नका अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रकाशित कृतियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 124

की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति से अल-मुद्रक पता नका के न्यायी संशुद्धि अल-मुद्रक पता नका के कर्मचारियों के लिए (बिफिल्टा परिचयन व उपधारा) अधिनियम, 1993 में संशोधनार्थ निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम :-

इस विनियमों को अल-मुद्रक पता नका कर्मचारियों (बिफिल्टा परिचयन व उपधारा) प्रथम संशोधन अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा।

(1) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह लागू हो जाएगा।

2. अल-मुद्रक पता नका कर्मचारियों (बिफिल्टा परिचयन व उपधारा) अधिनियम, 1993 में :-

(i) (ब) धारा 1 (ii) (ब) के नीचे अधिनियम 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

धारा 1—किसी भी/प्रतिस्थापकों, परन्तु सुविधा केवल किसी भी प्रतिस्थापकों को ही दिया जाएगा, परिवार को नहीं।

(ब) धारा 1 (ii) (ब) के नीचे अधिनियम 2 में निम्नलिखित की जोड़ा जाएगा :-

धारा 2—समिति के अंतर्गत यदि किसी दूसरे संगठन का कर्मचारी प्रतिनिधित्व पर हो, जब तक अल-मुद्रक पता नका अधिनियम के विनियमों के अंतर्गत संगठन में रखा जाते हैं।

(ii) विनियम 3(क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जा सकता है :—

"मुख्य चिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य समिति के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/हल्दिया पर समिति के अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/दूर शिक्षण में अन्य कोई प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी होगा।

(iii) विनियम 3(ब) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जा सकता है :—

"अतिरिक्त चिकित्सक" से तात्पर्य ऐंथोपेथी/प्राप्युर्वेदिक/होम्योपेथी/युगानो तथा किसी अन्य देशी चिकित्सा प्रणाली के प्रत्यक्ष संबद्ध वैदिक चिकित्सक से होगा।

(iv) विनियम 3(अ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जा सकता है :—

"लोक अस्पताल" से तात्पर्य होगा कोई सरकारी अस्पताल या एक सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल या लोक सेवा उपक्रम का अस्पताल।

(v) (क) विनियम 3(ड) के अर्थ समूह "उपके सहाया कर्म" और "वा सहाया कर्म" की हटाया जा सकता है।

(ख) विनियम 3(ड) के नीचे के टिप्पणी 1 और 2 को हटाया जा सकता है।

(घ) विनियम 3(ड) के नीचे के टिप्पणी 3 और 4 को दुबारा टिप्पणी 1 या 2 के रूप में नम्बर दिया जाए।

(vi) विनियम 3(क) को निम्नलिखित द्वारा पुनर्निश्चित करना होगा :—

"अस्पताल प्रभार" से तात्पर्य किसी कर्मचारी से अलग-अलग चार्ज में उसके चिकित्सा के लिए किसी लोक अस्पताल द्वारा दिया गया वास्तविक प्रभार होगा, जिसमें अलग-अलग प्रभार/निर्देश प्रभार/परिचारिका मूल्य, चिकित्सक मूल्य/निर्देश मूल्य सहित आधारेकन प्रभार तथा विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों, जोखन रक्षा उपकरणों का प्रभार तथा कॉन्सीजन, एच.टी.आर. या अन्य कोई ड्रिग, यदि आवश्यकता हो, का मूल्य शामिल होगा।

(vii) विनियम 3(घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"तनिक होम प्रभार" से तात्पर्य किसी कर्मचारी से दिया गया वास्तविक प्रभार होगा, जिसमें सहायक, चिकित्सक मूल्य/निर्देश मूल्य तथा तनिक प्रभार/परिचारिका मूल्य, आधारेकन प्रभार तथा विभिन्न चिकित्सा परीक्षण तथा जोखन रक्षा उपकरणों का प्रभार तथा आवश्यकता पड़ने पर धानसोजन, रक्त, सैसाईन या अन्य कोई ड्रिग, यदि आवश्यकता हो या मूल्य शामिल होगा।

(viii) (क) विनियम 4(i) के प्रथम अनुच्छेद के पहली पंक्ति में शब्द "या अन्य सेवा" को हटाया जा सकता है।

(ii) उसी वाक्य में "चिकित्सा अधिकारी" शब्द के पश्चात् "ज्या उपचार" शब्द को जोड़ा जा सकता है।

(iii) उसी विनियम के अनुच्छेद 2 में ₹ "10/-" को शब्द "₹. 30/-" से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(iv) विनियम 4 (ii) के अंत में निम्नलिखित वाक्यों को जोड़ा जा सकता है :— विनियम 11 के तहत सीमाओं के भीतर रहने

हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर चिकित्सा चर्च तथा चिकित्सा परीक्षण चर्च, नकल किया जाएगा। इसमें का चर्च पूरा वापस किया जाएगा।

विनियम 4 (ii) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को समाविष्ट किया जा सकता है।

टिप्पणी : क्योंकि हल्दिया रोटी परिहार में समिति के सदस्यों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए बाहरी चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है, तो आपात मामलों में अतिरिक्त चिकित्सकों को बुलाया जा सकता है, परन्तु चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार, पर होने वाले चर्च को इस अंत पर वापस किया जाएगा जब मामले की सहायता दी जाए। हल्दिया रोटी परिहार के समिति के अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक को सूचित किया जाए, पर पर पद अतिरिक्त चिकित्सक को बुलाने के समय से 48 घंटे में बाद नहीं होने चाहिए। अतिरिक्त चिकित्सक के मूल्य का आधा, जो ₹ 30/- प्रतिदिन के अधिक न हो या ऐंथी, जो समय-समय पर समिति द्वारा स्वीकृत हो, हल्दिया रोटी परिहार के पतन अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक के समाधान पर समिति द्वारा वापस किया जाएगा। विनियम 11 के तहत सीमाओं के भीतर रहने हुए प्रभारी चिकित्सक, पतन अस्पताल, हल्दिया रोटी परिहार द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर चिकित्सा चर्च तथा चिकित्सा परीक्षण चर्च वापस किया जाएगा। इसमें का चर्च पूरा वापस किया जाएगा।

(ix) विनियम 4(iii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

ऐसा कर्मचारी, जो कनकता या हल्दिया में समिति के आवास में नहीं रहते हैं, उप विनियम (ii) के अंतर्गत के अंतर्गत, यदि बीमारी झटकी कठिन हो कि उसे समिति के अस्पताल या अस्पताल में जाने में असमर्थ हों तो अपने चुनाव के अतिरिक्त चिकित्सक द्वारा चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार अपने निवास में करना सकता है। बीमारी की संशयित के मामले में यदि कोई संदेह हो तो पतन अस्पताल के हल्दिया रोटी परिहार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी का निर्णय हो बतित होगा। ऐसे मामलों में अतिरिक्त चिकित्सक के मूल्य का आधा जो ₹. 30/- प्रतिदिन से अधिक न हो या बीटों द्वारा समय-समय पर पुनर्निश्चित पर से पतन अस्पताल, हल्दिया रोटी परिहार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पर समिति द्वारा वापस किया जाएगा। विनियम 11 के अंतर्गत सीमाओं के भीतर रहने हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पतन अस्पताल, हल्दिया रोटी परिहार द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर चिकित्सा चर्च तथा चिकित्सा परीक्षण चर्च वापस किया जाएगा। इसमें का चर्च पूरा वापस किया जाएगा।

(x) विनियम 5(i) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को समाविष्ट किया जा सकता है :—

टिप्पणी :- पहले विनियम चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रस्तावित किए जाने पर चिकित्सा तथा चिकित्सा के लिए किए परीक्षणों का चर्च वापस देय होगा। जो विनियम 11 के अंतर्गत उसके भीतर है। इसमें की पूरी कीमत वापस की जाएगी।

विधायक (ii)

- (11) (क) विनियम 5 (ii) को निरस्त या रद्द किया है।
- (ख) विनियम 5 (iii) को निरस्त या रद्द किया है।
- (ग) विनियम 5 (iv) को 5 के अन्तर्गत पुनः संशोधित किया या रद्द किया है।
- (12) विनियम 6 (2) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जा सकता है :-

जब एक कर्मचारी सरकारी दौरे पर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुदान पर कार्यरत पर ही जो वह मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर विनियम 11 के अन्तर्गत निर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत किसी नतिव होमाली शिक्षा विभाग में कराए गए शिक्षा खर्च, जिसमें शिक्षा संबंधी परीक्षा शामिल हो, का हकदार होगा। ऐसे मामलों में दस्तावेजों का पूरा खर्च वापस किया जाएगा। यदि कर्मचारी किसी लोक प्रशासन में दाखिल हो जाय तो वह अपने सभी शिक्षा खर्च का पूर्ण मुआवजा होगा।

- (13) विनियम 7 को निम्नलिखित से विस्थापित किया जा सकता है :-

नतिव होमाली विस्तार या लोक प्रशासन में एक केमिन में भर्ती-निम्नलिखित मामलों में एक कर्मचारी किसी नतिव होम या एक पैरेंट विस्तार या लोक प्रशासन में एक केमिन में दाखिल हो सकता है :-

- (क) समिति के प्रस्ताव में सुविधाओं की कमी को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा वहाँ किसी कर्मचारी को किसी नतिव होम या किसी पैरेंट विस्तार या लोक प्रशासन में किसी केमिन में भर्ती किए जाने की परवृत्ति की गई हो।
- (ख) जब शिक्षा अधिकारी के पूर्व अनुमति के अभाव पर कर्मचारी द्वारा स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसी भर्ती के लिए प्रस्तावित किया गया हो।
- (ग) यदि पैरेंट भर्ती के लिए किसी प्रस्ताव स्थिति में कर्मचारी द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, तो मुख्य शिक्षा अधिकारी यह प्रस्तावित करे कि इस प्रकार की भर्ती लोगों के जीवन बचाने के लिए आवश्यक थी।

जब एक कर्मचारी सरकारी दौरे पर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुदान पर कार्यरत पर ही जो वह मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर विनियम 11 के अन्तर्गत निर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत किसी नतिव होमाली शिक्षा विभाग में कराए गए शिक्षा खर्च, जिसमें शिक्षा संबंधी परीक्षा शामिल हो, का हकदार होगा। ऐसे मामलों में दस्तावेजों का पूरा खर्च वापस किया जाएगा। यदि कर्मचारी किसी लोक प्रशासन में दाखिल हो जाय तो वह अपने सभी शिक्षा खर्च का पूर्ण मुआवजा होगा।

- (14) विनियम 10 (क) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जा सकता है :-

जब एक कर्मचारी सरकारी दौरे पर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुदान पर कार्यरत पर ही जो वह मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर विनियम 11 के अन्तर्गत निर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत किसी नतिव होमाली शिक्षा विभाग में कराए गए शिक्षा खर्च, जिसमें शिक्षा संबंधी परीक्षा शामिल हो, का हकदार होगा। ऐसे मामलों में दस्तावेजों का पूरा खर्च वापस किया जाएगा। यदि कर्मचारी किसी लोक प्रशासन में दाखिल हो जाय तो वह अपने सभी शिक्षा खर्च का पूर्ण मुआवजा होगा।

- (15) विनियम 11 (क) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जा सकता है :-

नतिव होम प्रसार की रूप में वापस किया जाएगा यदि कर्मचारी पठन व्यय प्रशासन में ऐसी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न हो या फिर सामान्य दस्तावेज प्रत्यावर्तन हो कि योग्य की कर्मचारी पठन व्यय प्रशासन में से जाने पर उनके प्रार्थनों को खतरा हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी इप्टी के दौरान वापस हुआ हो तो ऐसे मामलों में पूरा खर्च वापस किया जाएगा। इन सभी मामलों में खर्च मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर ही किया जाएगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन पर नतिव होम या किसी लोक प्रशासन अधिकारी से भर्ती किया गया हो, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर, मुख्य दस्तानों के साथ वापस किया जाएगा, कि प्रतिदिन जोधन रखा उपकरणों का (2/3) को शिक्षाई मुख्य वापस करेगा। वहीर के विकल्पों हो जाने की स्थिति में उपकरणों के मुख्य को प्रतिदिन द्वारा वापस नहीं किया जाएगा। अगर कदाएँ नए किसी की मामले में किसी प्रकार का संदेह, विवाद या बिबादों की भिन्नता की स्थितियों में मुख्य शिक्षा अधिकारी के राय की अंतिम माना जाएगा।

- (16) विनियम 11 (ख) में आए शब्द "र. 10/-" को "र. 30" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (17) विनियम 11 (ग) (क) में आए शब्द "एक सरकारी प्रशासन या सरकार से सहायता प्राप्त प्रशासन" के शब्द "एक लोक प्रशासन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (18) विनियम 11 (ग) (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(1) नतिव होम प्रसार की रूप में वापस किया जाएगा यदि कर्मचारी पठन व्यय प्रशासन में ऐसी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न हो या फिर सामान्य दस्तावेज प्रत्यावर्तन हो कि योग्य की कर्मचारी पठन व्यय प्रशासन में से जाने पर उनके प्रार्थनों को खतरा हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी इप्टी के दौरान वापस हुआ हो तो ऐसे मामलों में पूरा खर्च वापस किया जाएगा। इन सभी मामलों में खर्च मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर ही किया जाएगा।

- (11) मुख्य योग्य पाए जाने वाले मामलों में नतिव होम प्रसार की वापसी निम्नलिखित रूप से की जाएगी :-

- (1) धारागत प्रसार प्रति दिन र. 150/- तक के लिए रूप और प्रति दिन र. 150/- की राशि के अधिक होने पर अधिक राशि का दो तिहाई।
- (2) बाहर से खरीदे हुए दवाओं सहित नतिव होम द्वारा किए गए दवाओं या मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर पूरा मुआवजा होगा।
- (3) सार्वजनिक खर्च — कुल खर्च का दो तिहाई।
- (4) सार्वजनिक विप्रेर प्रसार — पूरा खर्च।
- (5) शिक्षा परीक्षा प्रसार (साधिका कंवेटराईवेजिन का अन्वयगतिक मुक्त सहित) पूरा खर्च।
- (6) जोधन रखा उपकरण खर्च — कुल खर्च का दो तिहाई।
- (7) शिक्षाई मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा।
- (8) नतिव प्रसार/परिचारिका मुक्त — जैसे विनियम 11 (ग) (घ) के अन्तर्गत प्रसार प्रयोग्य।
- (9) खत, सैलार्ईन या अन्य द्विप — जैसे विनियम 11 (क) के अन्तर्गत प्रयोग्य।
- (10) विनियम 11 (ग) (घ) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जाएगा :-

जिसके मुख्य अधिकार सीमा र. 150 प्रति मुआवजा। इप्टी पर वापस होने की स्थिति में सम्पूर्ण मुआवजा।

(20) विनियम 11 (क) (iv) में शब्द "र. 20 प्रति घंटी" "र. 10 प्रति घंटी" तथा "एक सप्ताह" शब्द को क्रमशः "र. 30 प्रति घंटी" "र. 15 प्रति घंटी" तथा "दो सप्ताह" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(21) विनियम 11 (ग) (क) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जाएगा :—

बाहर के विनियमों तथा संस्कारों से कटाए गए विनियम बरीखों को प्रचार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा "प्रमाणित किए जाने पर" वापस दिया जाएगा।

(22) विनियम 11 (ई) को हटा दिया जाएगा।

विनियम 11 के नीचे निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जा सकता है :—

गर्भवी कर्मचारियों जैसे सैंडबैर, किचनो ट्रांसप्लान्ट, सॉर्टिंग सॉर्टरी, वीन वीरी ट्रांसप्लान्ट, उच्च मातृपिपा मासों में प्रापणन द्वारा सुधार इत्यादि के मामलों में, जिसमें अधिक ध्यान होता है, ऐसी स्थिति में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमानित व्यय का दो तिहाई, प्रत्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुमति से, खर्च दिया जाएगा। इस अधिनियम राशि की मुद्राणन के लिए की गई मांग के विरोध में व्यवस्थित किया जाएगा जिसे चिकित्सा प्रमाणित के बाद एक महीने के भीतर ही जमा देना होगा, अन्यथा दिए गए अधिनियम राशि को प्रत्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा निविदा किए गए उचित किशों में वसूल कर लिया जाएगा।

(24) विनियम 14 के नीचे वाले टिप्पणी में निम्न सुधार किया जाएगा :—

किछी कर्मचारी का उक्त पर नियंत्रित पारिवारिक सदस्य की यदि समिति के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा को जाए, जो ऐसी स्थिति में चिकित्सा खर्च के भुगतान की मांग को उनके अनुभाग अधिकारियों के पास संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित फार्म में संपर्क नुस्खा तथा अन्य याददर सहित उनके अनुभाग अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। अनुभाग में रखे गए चिकित्सा चित रजिस्टर में संबंधित विवरणों को अंकित करने के बाद संबंधित अधिकारी उस मास को अनुबंध दस्तावेजों सहित चित सहायक एवं मुख्य सेवा अधिकारी के पास प्रेषित कर देंगे, जो आवश्यक कार्रवाई के पश्चात् कर्मचारी को भुगतान करने की व्यवस्था करेंगे। इस विनियम को नूटि के, जहाँ तक हकीमिया नोटी पारिषद का संबंध है, "चित सहायक व मुख्य सेवा अधिकारी" का सहायक प्रबंधक (चित) से होगा।

(25) (क) विनियम 15 (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

इसदिना में वर्तमान कर्मचारी या जिन कर्मचारियों के ही बच्चे हों, उनको छोड़कर सिंगुलर जन्म या तीर्थ ही प्रजावस्था या सिंगुलर जन्म की स्थिति उत्पन्न करने में योगदान करती ही।

(ख) विनियम 15 (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

पुनर्करण को प्राथमिकता रखने वाली प्रत्यक्ष संकायक कर्मचारियों जैसे—ड्रेना, केच, प्लेग, डिटेन्स, रेबीस, तीव्र ऐंटीरिधर पोलीओमायलिटिस तथा डिप्थीरिया के मामलों को चिकित्सा सभी की कार्यवाही जब लोक प्रसंग में संबंधित कार्य में भर्ती की व्यवस्था न की जा सके।

(ग) विनियम 15 (v) को हटा दिया जाएगा।

(घ) विनियम 15 के नीचे टिप्पणी (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

टिप्पणी 1—कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्णित औषधालयों तथा बोर्ड प्रसंग में, सब रोग को चिकित्सा कर सकते हैं तथा वे के. एच. राय प्रसंग, सब रोग विशेष एंटीरिधर या अन्य किसी संस्थान की अंतरंग चिकित्सा प्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ समिति द्वारा कोई विशेष बाधक रखान किया जा सकता है।

कोम निर्गणन पारिवारिक सदस्य को सब रोग के लिए प्राथमिकता प्रकृता प्रदान न्याय के प्रसंग (बहिरंग) तथा बोर्ड प्रसंग में चिकित्सा (बहिरंग) में चिकित्सा प्रदान की जाती है। परन्तु मुख्य चिकित्सा अधिकारी मामलों को सरकारी संस्थाओं/प्रसंगों/विनियमों में जो चिकित्सा के लिए भेजे सकते हैं।

(26) (क) विनियम 15 (2) को हटाया जा सकता है।

(ख) विनियम 15 (3) के नीचे की टिप्पणी को हटाया जा सकता है।

(27) विनियम 17 के प्रथम अनुच्छेद को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जा सकता है :—

शिर्ष—अधिनियम 10 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं की प्रकृता रखने वाले व्यक्ति को उनके संबंधित विभाग/प्रसंग/संस्थान प्रसंगों, जहाँ से सेवा निवृत्त/विदा निवृत्ति में जाने से पहले तैयारी प्रकृता में जाने से पहले कार्यरत थे, के माध्यम से प्रत्यक्ष/उपाध्यक्ष को आवेदन करना होगा।

टिप्पणी : कलकत्ता प्रदान न्याय कर्मचारी (चिकित्सा परिषदों व उपचार) विनियम 1989 को सरकार द्वारा 9 अक्टूबर, 1989 को एच. एच. 610(ई) के तहत स्वीकृति दी गई थी तथा उसे 9 अक्टूबर, 1989 को भारत के राजपत्र (सहायक) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1993

G.S.R. 633(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Medical Attendance & Treatment) 1st Amendment, Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Madras and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12016/7/92-PE II]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

CALCUTTA PORT TRUST EMPLOYEES'

(Medical Attendance & Treatment)

1st Amendment Regulations, 1993

In exercise of the powers conferred by Section 28 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and with the sanction of Central Government under Sub-section (I) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following Regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989.

1. Short Title : These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) 1st Amendment Regulations, 1993.

(i) This will come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989 :—

(i) (a) Note 1(ii) (c) below Regulation 2 may be substituted by the following :—

Note : Apprentices|Trainees, but the coverage will be available only to the Apprentices|Trainees and not to the family.

(b) Note 1(ii) (d) below Regulation 2 may be added as follows :—

Note : An employee of other organisation while on deputation under the Board unless otherwise contained in the terms of deputation.

(ii) Regulation 3(c) may be substituted by the following :—

"Chief Medical Officer" shall mean the Board's Chief Medical Officer|Medical Officer-in-charge of Board's Hospital at Haldia|any other Medical Officer authorised in this behalf.

(ii) Regulations 3(e) may be substituted by the following :—

"Private Doctor" shall mean a registered medical practitioner in the Allopathic|Ayurvedic|Homoeopathic|Unani and any other indigenous systems of medicine.

(iv) Regulation 3(i) shall be substituted by the following :—

"Public Hospital" shall mean a Govt. Hospital or a Govt. aided Hospital or Hospital of Public Sector Undertaking.

(v) (a) In Regulation 3(j) the words "in his consulting room or" and "or consulting room" may be deleted.

(b) Notes 1 & 2 below Regulation 3(j) shall be deleted.

(c) Note 3 and Note 4 below Regulation 3(j) shall be renumbered as Note 1 and Note 2 respectively.

(vi) Regulation 3(m) shall be replaced by the following :—

"Hospital Charges" shall mean the actual amount of charges realised by a Public Hospital from an employee for treatment in the in-patient ward including accommodation charge|nursing charges|attendance fees, Doctor's fees|Specialist's fees and nursing charges|attendant and charges for various medical investigations, cost of life saving appliances, cost of oxygen, blood, saline or other drips as may be necessary.

(vii) Regulation 3(n) shall be substituted by the following :—

"Nursing Home Charges" shall mean the actual amount of charges realised by the Nursing Home from an employee for accommodation, Doctor's fees|Specialist's fees and nursing charges|attendant fees, operation charges, charges for various medical investigations, cost of life saving appliances and cost of oxygen, blood, saline or other drips as may be necessary.

(viii) (a) (i) The words "or other areas" appearing in the first sentence of first para of Regulation 4(ii) may be deleted.

(ii) The words "and treatment" may be added after "Medical Attendance" of the same sentence.

(ii) The word "Rs. 30" may be substituted for "Rs. 10" in para 2 of the same Regulation.

(iv) At the end of Regulation 4(ii), the following sentences may be added :—

"Cost of treatment including the cost of medical investigations will be reimbursed subject to the ceilings under Regulation 11 on certification by the Chief Medical Officer. Cost of medicines shall be reimbursed in full."

(b) The following Note below regulation 4(ii) may be incorporated :—

Note : Since external medical service does not exist at Haldia Dock Complex for employees living in Board's quarters in emergency cases a private doctor may be called in, but the reimbursement

of expenditure incurred for medical attendance and treatment shall be subject to the condition that the case has been reported to the Medical Officer-in-Charge of Board's Hospital at Haldia Dock Complex at the earliest possible opportunity and in any case not later than 48 hours from the time the private doctor has been called in. Half the fee of the private doctor subject to a maximum of Rs. 30 per day or such amount as may be sanctioned by the Board from time to time shall, on certification by the Medical Officer-in-Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex be reimbursed by the Board. Cost of treatment including the cost of medical investigations will be reimbursed subject to the ceilings under Regulation 11 on certification by the Medical Officer-in-Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex. Cost of medicines shall be reimbursed in full.

(ix) Regulation 4(iii) may be substituted by the following :—

"Employees not living in the Board's quarters, either at Calcutta or at Haldia, as referred in sub-regulation (ii) above shall be entitled to receive medical attendance and treatment at their residence from the private doctor of their choice if the illness is so severe that the patient cannot go to any of Board's Hospitals or Dispensaries. In case of any doubt as regards severity of the illness, the decision of the Chief Medical Officer|Medical Officer in Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex shall be final. In such cases half the fee of a private doctor subject to a maximum of Rs. 30 per day or as may be revised from time to time by the Board shall, on certification by the Chief Medical Officer|Medical Officer-in-Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex, be reimbursed by the Board. Cost of treatment including the cost of medical investigations will be reimbursed subject to the ceilings under Regulation 11 on certification by the Chief Medical Officer|Medical Officer-in-Charge, Port Hospital, Haldia Dock Complex. Cost of medicines shall be reimbursed in full".

(x) The following Note below Regulation 5(i) may be incorporated :—

Note : Where Specialist Doctor's services are not available, on certification from the Chief Medical Officer reimbursement of the cost of treatment and that of medical investigations will be admissible subject to the ceilings under Regulation 11. The cost of medicines will be reimbursed in full.

- (xi) (a) Regulation 5(ii) may be deleted.
- (b) Regulation 5(iii) may be deleted.
- (c) Regulation 5(iv) may be renumbered as 5(ii).

(xii) Regulation 6(2) shall be substituted by the following :—

"An employee while on official tour or while on leave for availing of Leave Travel Concession shall be entitled to reimbursement of expenses for treatment in a Nursing Home|Private Hospital including the cost of medical investigations subject to the limits as laid down under Regulation 11 and on certification by the Chief Medical Officer. The cost of medicines in such cases shall be reimbursed in full. If the employee is admitted to a Public Hospital, reimbursement of medical expenses for treatment shall also be made in full".

(xiii) Regulation 7 may be substituted by the following :—

Admission to a Nursing Home|Paying Bed or a Cabin in a Public Hospital—An employee may be admitted to a Nursing Home or a Paying Bed or a Cabin in Public Hospital in following cases :—

- (a) Where the admission of an employee into a Nursing Home or into paying bed or a Cabin in a Public Hospital is initiated by the Chief Medical Officer in view of lack of adequate facilities in Board's Hospitals.
- (b) Where such admission is initiated by the employee himself or his family members but with the prior approval of the Chief Medical Officer.
- (c) Where such admission is initiated by the employee or his family members in an emergency and the Chief Medical Officer subsequently certifies that such admission was necessary in order to save the life of the patient.

The cost of treatment including that of medical investigations in such cases shall be reimbursed subject to the ceilings laid down under Regulation 11 and on certification by the Chief Medical Officer. The cost of medicines shall be reimbursed in full.

(xiv) Regulation 10(d) shall be incorporated in the Regulation 10 as follows :—

The condition of the family of the employee residing with him|her may be relaxed by the Chairman depending on the merit and circumstances of the case.

76

(xv) Regulation 11(A) shall be substituted by the following :—

All medicines including saline or any kind of drip, blood, oxygen and life saving appliances including pace-maker, pulse generator prescribed by the Board's Medical Officer or by Specialists consulted on the advice of the Chief Medical Officer, shall be supplied free of cost by the Board. But any such item not supplied by the Board and prescribed by a private Doctor under Sub-regulation (ii) & (iii) of Regulation 4 and by the Nursing Home or the Public Hospital authorities, where patient has been admitted with the approval of the Chief Medical Officer, may be purchased and the Board shall, on certification by the Chief Medical Officer, reimburse the cost provided that the Board shall reimburse 2/3rd of the cost of life saving appliances. Cost of appliances in respect of deformity of the body shall not be reimbursed by the Board. In case of doubts, disputes or difference of opinion arising in respect of any of the above matters, the opinion by the Chief Medical Officer shall be final.

(xvi) The words "Rs. 30" may be substituted for "Rs. 10" appearing in Regulation 11(B).

(xvii) The words "a Government Hospital or a Government aided Hospital" appearing in Regulation 11(C)(a) shall be replaced by the words "a Public Hospital".

(xviii) Regulation 11(C)(b) shall be substituted by the following :—

(i) Reimbursement of Nursing Home charges would be made in full in cases where there is no facility for such treatment in CPT Hospital and/or cases are of so emergent nature that shifting of the patient to CPT Hospital may endanger the life of the patient. Full reimbursement will also be allowed in case of an employee injured on duty. In all these cases reimbursement will be made on the certification by the Chief Medical Officer.

(ii) In other eligible cases the reimbursement of Nursing Home charges would be made as shown below :—

(1) Accommodation charge—Upto Rs. 150 per day in full and for amount exceeding Rs. 150 per day, 2/3rd of the excess amount.

(2) Cost of medicines supplied by the Nursing Home including those purchased from outside—Full reimbursement as per certification by the Chief Medical Officer.

(3) Operation cost—2/3rd of the total cost.

(4) Operation Theatre Charge—Full cost.

(5) Medical investigation charge (including professional fees for Cardiac Catheterisation)—Full cost.

(6) Cost of life saving appliances—2/3rd of the total cost.

(7) Doctor's fees|Specialist's fees—As admissible under Regulations 11(B) and 11(C)(c).

(8) Nursing charges|Attendant's fees—As admissible under Regulation 11(C)(d).

(9) Cost of Blood, Saline or other drips—As admissible Regulation 11(A).

(xix) Regulation 11(C)(c) may be substituted by the following Specialist's fees subject to a ceiling of Rs. 150 per visit. In case of injury on duty, Specialist's fees shall be reimbursed in full.

(xx) The words "Rs. 20 per shift", "Rs. 10 per shift" and "one week" in Regulation 11(C)(d) shall be substituted by the words "Rs. 30 per shift", "Rs. 15 per shift" and "two weeks" respectively.

(xxi) Regulation 11(C)(e) shall be substituted by the following :—

Charges for medical investigations carried out by the outside Doctors and Institution shall be reimbursed on the certification by the Chief Medical Officer.

(xxii) Regulation 11(E) shall be deleted.

(xxiii) The following Note may be added below Regulation 11 :—

For treatment of the employees in cases of serious diseases like Cadaver kidney transplant, by-pass surgery, bone-marrow transplant, operative correction of high myopia casts, etc., which involve substantial expenditure, advance upto 2/3rd of the expenditure as estimated by the Chief Medical Officer may

be granted with the approval of the Chairman|Deputy Chairman. The advance so granted will be adjusted against the claim for reimbursement, which has to be submitted within one month after the treatment is over, failing which the advance will be recovered in suitable instalments as may be decided by the Chairman|Deputy Chairman.

(xxiv) Note below Regulation 14 shall be modified as follows :—

In the case of treatment of an employee or his dependant family members by Board's Medical Officer, claims for reimbursement of medical expenses will be submitted by the concerned employee in the prescribed form to his Sectional Officer with supporting prescriptions and vouchers, etc. After recording the relevant details in the Medical Bill Register maintained in the section, the concerned officer will forward the claim along with supporting documents to the Financial Adviser & Chief Accounts Officer with supporting prescriptions and the employee after necessary processing. For the purpose of this Regulation, "Financial Adviser & Chief Accounts Officer" shall mean the Manager (Finance) so far as Haldia Dock Complex is concerned.

(xxv) (a) Regulation 5(i) shall be substituted by the following :—

Child birth and conditions arising out of or directly attributable to pregnancy and child birth, excepting for the employees posted at Haldia and having upto two children.

(b) Regulation 15(iv) may be substituted by the following :—

Acute infectious diseases requiring segregation viz., Cholera, Small Pox, Plague, Tetanus, Rabies, Acute Anterior Polyomyelitis and cases of Diphtheria may be treated only if hospitalisation in the

relevant words of any of the Public Hospitals cannot be arranged.

(c) Regulation 15(v) may be deleted.

(d) Note (1) below Regulation 15 may be substituted by the following :—

Note 1—The employees are entitled to anti-tuberculosis treatment at Board's Hospital and Dispensaries as earmarked by the Chief Medical Officer and they may also avail of provisions of indoor treatment at K.S. Roy Hospital, Tuberculosis Relief Association or at any other Institution where a number of beds are being maintained by the Board.

For the eligible dependant family members, anti-tuberculosis treatment is normally provided at CPT Hospital (Outdoor) and Dock Hospital Chest Clinic (Outdoor). But the Chief Medical Officer may also refer those cases to Government Institutions|Hospitals|Clinics for treatment.

(xxvi) (a) Regulation 15(3) may be deleted.

(b) Note below Regulation 15(3) may be deleted.

(xxvii) 1st Para of Regulation 17 may be substituted by the following :—

Procedure—The persons opting for medical facilities under Regulation 16 shall apply to the Chairman|Deputy Chairman through their respective Heads of Departments|Heads of Divisions in which they were employed before retirement|before they proceeded on leave preparatory to retirement.

Note : The Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989 were sanctioned by the Government vide G.S.R. 610(E) dated the 9th June, 1989 and published in the Gazette of India (Extra-ordinary) dated the 9th June, 1989.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]
No. 109]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1998/चैत्र 13, 1920
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1998/CHAITRA 13, 1920

कल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1998

सा. का. वि. 169 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (शिक्षण परिचर्या व उपचार) विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी

(शिक्षण परिचर्या व उपचार)

द्वितीय संशोधन विनियम, 1998

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसी अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कलकत्ता पत्तन न्यास का न्यासी मंडल कलकत्ता पत्तन न्यास के कर्मचारियों के लिए (शिक्षण परिचर्या व उपचार) विनियम, 1989 में संशोधनार्थ निम्नलिखित नियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम—

इन विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (शिक्षण परिचर्या व उपचार) द्वितीय संशोधन विनियम, 1998 कहा जाएगा।

(i) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (शिक्षण परिचर्या व उपचार) विनियम 1989 में—

(i) विनियम II के उप-विनियम (सी) के तहत निम्नलिखित खंड (एफ) जोड़ा जाएगा :—

कलकत्ता पत्तन न्यास के कर्मचारी तथा परिवार के उन पर आश्रित हकदार सदस्यों को इन्द्रा ऑक्जुलर सेन्स इम्प्लान्टेशन प्रभार के लागू की प्रतिपूर्ति :—यदि शिक्षण सरकारी अस्पताल में की गई हो, तो इन्द्रा ऑक्जुलर सेन्स इम्प्लान्टेशन तथा उससे संबंधित उपचार की वास्तविक लागत

को पूरी प्रतिपूर्ति होगी, और यदि चिकित्सा किसी मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल में, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो, में करवाई जाए, तो 6500 रुपये या वार्षिक खर्च, जो भी कम हो, को प्रतिपूर्ति होगी। ऐसे मामलों में ऐनों पर आने वाले खर्च, यदि कोई हो, को प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ii) विनियम 2 के नीचे टिप्पणी (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

टिप्पणी—गंभीर बीमारियों जैसे कैटारक्ट किडनी ट्रांसप्लान्टेशन, चाई-पास सर्जरी, मोन मैरो ट्रांसप्लान्ट, गंभीर मायोपिया मामलों में, इत्यादि के लिए, जिसमें बाकी खर्च आता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आकलित खर्च का 80% अग्रिम/उपाध्यक्ष के अनुमोदन पर, कर्मचारी को अग्रिम-राशि के रूप में दिया जा सकता है। इस प्रकार दी गई यह अग्रिम-राशि पुनर्भुगतान के दावे, जो चिकित्सा समाप्त होने के एक माह के अन्दर ही किए जाने हैं, से समायोजित कर ली जाएगी, और ऐसा करने में असफल होने पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस अग्रिम राशि को उचित किरतों में वसूल लिया जाएगा।

[फा. सं. पी.आर.-12016/39/97/पी.ई.-1]

के. वी. राय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—कलकत्ता पोर्टन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार) विनियम 1989 को दिनांक 9 जून, 1989 के जी.एस. आर. सं. 610 (अ) के तहत अधिसूचित किया गया था तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। जिसे बाद में दिनांक 28 सितंबर 1993 के जी.एस.आर. सं. 633 (अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1998

G. S. R 169 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1998, made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees'

(Medical Attendance and Treatment)

2nd Amendment Regulations, 1998

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) and with the sanction of the Central Government under Sub-Section (1) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989.

1. **Short Title—**

These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) 2nd Amendment Regulations, 1998.

(i) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulation, 1989—

(i) The following clause (f) under Sub-regulation (c) of Regulation 11 shall be incorporated :—

Re-imbursalment of the cost of Intra Ocular lens implantation charges to the employees and their dependent eligible family members—

The actual cost of Intra Ocular lens implantation and treatment thereto will be re-imbursed in full if undertaken in Government Hospital and the actual cost or Rs. 6,500.00 whichever is less will be re-imbursed if the treatment is undertaken in private recognised hospitals where such facilities are available. The cost of spectacles if any, will not be re-imbursed in such cases.

(ii) The Note below Regulation 11 may be substituted by the following :—

Note—For treatment of the employees in cases of serious diseases like cadaver kidney transplantation, by-pass surgery, bone-marrow transplant, operative correction of high myopia cases, etc. which involve substantial expenditure, advance upto 80% of the expenditure as estimated by the Chief Medical Officer may be granted with the approval of the Chairman/Dy. Chairman. The advance so granted will be adjusted against the claim for re-imburement which has to be submitted within one month after the treatment is over, failing which the advance will be recovered in suitable instalments as may be decided by the Chairman/Deputy Chairman.

[F. No. PR.-12016/39/97/PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Note:—The Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989 were notified vide G.S.R. No. 610 (E) dated 9th June, 1989 and published in the Gazette of India (Extra ordinary) subsequently amended vide G.S.R. No. 633 (E) dated 28th September, 1993.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2001/ज्येष्ठ 23, 1923

No. 302]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2001/JYAJSTHA 23, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2001

सा. का. वि. 431(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

कलकत्ता कर्मचारी पत्तन न्यास चिकित्सा परिचर्या व उपचार (तृतीय संशोधन) विनियम, 1996

1. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कलकत्ता पत्तन न्यास का न्यासी मंडल कलकत्ता पत्तन न्यास के कर्मचारियों के लिए (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम, 1989 में संशोधनार्थ निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम

इन विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) तृतीय संशोधन विनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(i) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह लागू हो जाएगा।

2. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम 1989 में, :-

(i) विनियम 3 के उप-विनियम (i) को विस्थापित किया जा सकता है।

(ii) विनियम 3 के उप-विनियम (एम) के (i) विनियम 3 का उप-विनियम (एम) के (एम) तथा विनियम 3 का उप-विनियम (ओ) को (एन) से पुनर्स्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम 4 (ii) तथा 4 (iii) को निम्नलिखित विनियम 4(ii) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

कलकत्ता व हल्दिया के कर्मचारी, चाहे वह बोर्ड के आवारस में रहते हों या नहीं, ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिससे वह बोर्ड के अस्पताल या डिस्पेंसरी में जा पाने में असमर्थ हो तो अपने चुनाव के व्यक्तिगत चिकित्सक द्वारा चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार अपने निवास पर करवा सकता है। बीमारी की गंभीरता के संदेह के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत चिकित्सा का अधिकतम

युक्त 50/- र. प्रति दिन या बोर्ड द्वारा समय-समय पर पुनर्निर्धारित दर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पर बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाएगा। विनियम 11 के सीमाओं के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणित किए जाने पर चिकित्सा परीक्षण सहित चिकित्सा खर्च का भुगतान किया जाएगा। दवाओं पर हुए खर्च का सम्पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

(iv) विनियम 4 के उप विनियम (iv) को (iii) के रूप में जाना जाएगा।

(v) विनियम 7 के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम समाविष्ट किया जा सकता है :—

मूल वेतन प्रतिमाह रु. 3230/- या कम पाने वाले कर्मचारियों को उनके या उनके परिवार के अन्तर्गत चिकित्सा के दौरान अस्पताल या टी.बी. आरोग्यशाला को भुगतान किए गए आहार-प्रभार का पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

आहार-प्रभार निम्नलिखित प्रकार से विनियमित किया जाएगा :—

(अ) जहां अस्पताल द्वारा संयुक्त रूप से (सपाट) प्रभार लिया जाता है, जिसमें (1) आहार (2) आवास (3) साधारण नर्सिंग तथा (4) चिकित्सा तथा सर्जिकल सेवा शामिल हो, तो संयुक्त प्रभार का 20% आहार-प्रभार के रूप में माना जाएगा।

(ब) जहां अस्पताल द्वारा प्रभारित संयुक्त (सपाट) प्रभार में चर (1) आहार, (2) आवास, (3) साधारण नर्सिंग प्रभार हो तथा चिकित्सा एवं सर्जिकल सेवा के लिए प्रभार न हो, तो संयुक्त प्रभार का 50% आहार-प्रभार के रूप में माना जाएगा।

(vi) विनियम 10 में "और उसके साथ रहता/रहती" शब्द को तीसरी तथा पांचवीं शक्ति से विस्थापित किया जाएगा।

(vii) विनियम 10(ड) को विस्थापित किया जा सकता है।

(viii) विनियम 11(अ) को निम्नलिखित द्वारा विस्थापित किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर मण्डल के चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ द्वारा बताए गए सभी दवाओं, जिसमें मैलाइन या किसी किसम का ड्रिप, रक्त, ऑक्सीजन तथा जी-रक्षक उपकरण, जिसमें पेसमेकर तथा पल्स जेनरेटर उपादान जैसे ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सेट, कृत्रिम श्रवण उपकरण, कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक लारिन्स, ड्रेसिंग सामग्री, केप बैंडेज, डिसपोसेबल सिरिंज से संबंधित प्रभार, मण्डल द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। ऐसा कोई मद जो मंडल द्वारा न दी गई हो तथा जहां रोगी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन पर नर्सिंग होम या लोक अस्पताल प्राधिकरण में भर्ती किया गया हो, विनियम 4 के उप-विनियम (ii) के तहत व्यक्तिगत चिकित्सक के द्वारा निर्देशित, सामग्री खरीद सकता है तथा मंडल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पर लागत की प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप करेगा। पोलियो पीड़ित रोगियों के लिए थ्यूट तथा कृत्रिम उपकरण की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एक कर्मचारी के पूरे कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत रूप से लागत का 3 गुणा देय होगा। इसी प्रकार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक सभी प्रकार के कृत्रिम उपकरण के लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। कृत्रिम श्रवण यंत्रों के मूल्य की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। कृत्रिम श्रवण यंत्र के मामले में भुगतान सीधे आपूर्ति एजेंसी को की जाएगी, न कि संबंधित कर्मचारी को। आंख के सुधार हेतु किये गए उपचार पर होने वाले चिकित्सा खर्च की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। किसी प्रकार के संदेह, कलह या विचारों की विभिन्नता होने पर, उपर्युक्त विषयों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मत अन्तिम होगा।

(ix) विनियम 11 (ब) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जाएगा निजी चिकित्सकों को दी जाने वाली वारंवारिक राशि या 50 रुपये की वह अधिकतम सीमा की उस राशि को, जो भी हो, जिसे बोर्ड, द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जा सकती है, उपर्युक्त विनियम 4 के उप विनियम (11) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

(x) विनियम 11 (सी) (दो) में उल्लिखित शब्दों "रु. 30 प्रति घंटे तथा रु. 15 प्रति घंटे" को "रु. 50 प्रति घंटे तथा रु. 30 प्रति घंटे" शब्दों से बदला जाएगा।

(xi) निम्नलिखित उप विनियम (एक) को विनियम 11(सी) के अधीन जोड़ा जा सकता है :

कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को यदि कोई गुर्दा दान करता है तो दान कर्ता पर होने वाले सर्जरी तथा आंतरंगन के बाद होने वाले उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यशर्त कि उस उपचार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए। दान कर्ता के साथ पाने वाले व्यक्ति का यात्रा भत्ता भी त्याग के प्राप्तिकर्ता कर्मचारी को दिए जाने वाले दर पर दिया जाएगा।

(xii) विनियम 15 के उपविनियम (ii) को हटा दिया जाएगा।

(xiii) विनियम 15 के उपविनियम (iii) को हटा दिया जाएगा।

(xiv) विनियम 15 के उप विनियम (iv) को (ii) से पुनः संश्लिखित किया जाएगा और निम्नलिखित से विस्थापित किया जाएगा :

"पुष्पकरण की आवश्यकता रखने वाली अत्याधिक संक्रामक बीमारियों जैसे हैजा, चेचक, प्लेग, टिटेनस, जैसे मामलों की संक्रामक रोगों के उपचार हेतु आइ.डी. अस्पतालों में होने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। सीधे ऐन्टीरिबर पोली माई लिटिस तथा टिपिरिया के मामलों की चिकित्सा तभी की जा सकती है जब लोक अस्पतालों में संबंधित बाहरी में भर्ती की व्यवस्था नहीं की जा सके।"

(xv) विनियम 15 के उप विनियम (vi) तथा (vii) को क्रमशः (iii) तथा (iv) से पुनः संश्लिखित किया जा सकता है।

[फा. सं. पी. आर. 12016/20/96-पी.ई-1]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कलकत्ता पठन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार) विनियम, 1989 को सरकार द्वारा 9 जून 1989 को जी.एस.आर. 610 (ई) के तहत स्वीकृति दी गई थी तथा उसे 9 जून, 1989 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई थी। प्रथम संशोधन विनियम को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई और उसे जी.एस.आर. संख्या 633(ई) दिनांक 28 सितम्बर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। द्वितीय संशोधन विनियम सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और जी.एस.आर. सं. 169 (ई) दिनांक 3 अप्रैल, 1998 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2001

G. S. R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124 read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Amendment Regulations, 2001 made by the Board of Trustees of the Port of Calcutta Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees Medical Attendance and Treatment (3rd Amendment) Regulations, 1996

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and with the sanction of the Central Government under Sub-section (1) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989 :-

1. Short Title

These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) 3rd Amendment Regulations, 2001.

i) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989 :-

i) Sub-Regulation (1) of Regulation 3 may be deleted.

ii) Sub-Regulation (m) of Regulation 3 shall be renumbered as (l) and sub-regulation (n) of Regulation 3 shall be renumbered as (m) and Sub-regulation (o) of Regulation 3 shall be renumbered as (n).

iii) Sub-Regulations 4(ii) and 4(iii) shall be deleted and be substituted by the following Sub-regulation 4(ii) :-

Employees, irrespective of whether they have in Board's quarters or not, either at Calcutta or Hajdia shall be entitled to receive medical attendance and treatment at their residence from private doctor of their choice if the illness is so severe that the patient cannot go to any of the Board's hospitals or dispensaries. In case of any doubt as regards severity of the illness, the decision of the Chief Medical Officer shall be final. The actual fee of a private doctor subject to a maximum of Rs.50/- per day or as may be revised from time to time by the Board shall on certification by the Chief Medical Officer shall be reimbursed by the Board. Cost of treatment including cost of medical investigation will be reimbursed subject to ceilings under Regulation 11 on certification by the Chief Medical Officer. Cost of medicines shall be reimbursed in full.

- iv) Sub-regulation (iv) of Regulation 4 shall be renumbered as (iii).
- v) The following sub-regulation (d) under Regulation 7 may be incorporated :-

Diet charges paid to hospitals and TB Sanatoria etc. by the employees and members of their families during the course of their indoor treatment should be reimbursed in full where the basic pay of the employee is not more than Rs.3230/- per month.

Diet charges should be regulated as follows :-

- (a) Where the flat charge made by the hospital includes (1) diet (2) accommodation, (3) ordinary nursing, and (4) medical and surgical services, 20% of the flat charges will be reckoned as diet charges; and
- (b) Where the flat charge made by the hospital includes (1) diet, (2) accommodation, (3) ordinary nursing only, but not, charges for

medical and surgical services, 50% of the flat charge will be reckoned as diet charges. †

- vi) In Regulation 10 the words "and residing with him/her" shall be deleted from 3rd and 5th line.
- vii) Regulation 10(d) may be delted.
- (viii) Regulation 11(A) shall be substituted by the following :-

All medicines including saline or any kind of drip, blood, oxygen and life-saving appliances including pace-maker and pulse generator, items like blood transfusion set, artificial hearing aids, artificial electronic larynx, Orthopaedic implants, dressing material, crape bandage, disposable syringe and anciliary charges prescribed by the Board's Medical Officer or by Specialists consulted on the advice of the Chief Medical Officer, shall be supplied free of cost by the Board. Any such item not supplied by the Board and prescribed by a private doctor under Sub-regulation (ii) of Regulation 4 and by the Nursing Home or the Public Hospital authorities, where patient has been admitted with the approval of the Chief Medical Officer may be purchased and the Board, shall, on certification by the Chief Medical Officer reimburse the cost in full. Cost of boots and artificial appliances for patients suffering from Polio may be reimbursed for a maximum of limt of three times in respect of an individual during the entire service period of an employee. Similarly, on certification of the Chief Medical Officer all types of artificial appliances require in deserving cases including those required for persons physically handicapped shall also be reimbursed. Cost of artificial hearing aids may be reimbursed. In case of artificial hearing aids, payment should... be made

direct to supply agency and not to employee concerned. Medical expenses incurred for the treatment of correction of Squint (eye) shall be reimbursed. In case of doubts, disputes or differences of opinion arising out of any of the above matters, the opinion of Chief Medical Officer shall be final.

ix) Regulation 11(B) may be substituted by the following :-

The actual fees of the private doctor subject to maximum of Rs.50/- per day or such amount as may be sanctioned by the Board from time to time will be reimbursed under Sub-Regulation (ii) of Regulation 4.

x) The words "Rs.50/- per shift and Rs.30/- per shift" shall replace the words "Rs.30/- per shift and Rs.15/- per shift" respectively in Regulation 11(C)(d).

xi) The following Sub-regulation (f) under Regulation 11(C) may be incorporated :-

"Expenses incurred for Surgery and post-operative treatment of the donor of the kidney to the employees or their family members will be reimbursed subject to certification of the treatment by the Chief Medical Officer. TA of the donor may be admissible in case of accompanying person at the rates applicable to the recipient employee of the Trustees.

xii) Sub-Regulation (ii) of Regulation 15 may be deleted.

xiii) Sub-Regulation (iii) of Regulation 15 may be deleted.

xiv) Sub-Regulation (iv) of Regulation 15 may be renumbered as (ii) and substituted by the following :

"Acute infectious diseases requiring segregation viz., Cholera, Small Pox, Plague, Tetanus. Expenses incurred for treatment of infectious diseases at ID Hospital may be reimbursed subject to approval of the

Chief Medical Officer. Acute Anterior Polyomyelitis and cases of Diphtheria may be treated only if hospitalisation in the relevant wards of any of the Public Hospitals cannot be arranged".

- xv) Sub-Regulation (vi) and (vii) of Regulation 15 may be renumbered as (iii) and (iv) respectively.

[F.No.PR-12016/20/96-PE-I]

K. V. RAO, J. Secy.

NOTE : The Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989 were sanctioned by the Government vide GSR 610(E) dated 9th June, 1989 and published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 9th June, 1989. The 1st Amendment Regulations have been sanctioned by the Government and published in the Gazette of India vide G.S.R. No.633(E) dated 28th September, 1993. The Second Amendment Regulations have been sanctioned by the Government and published in the Gazette of India vide G.S.R. No.169(E) dated 3rd April, 1998.